

2-1 i pk; rh jkt l Fkkvka ea rjgoa foRr vk; ksx ds vuupkuka ds mi Hkksx
i j fu"i knu ys[kki jh{kk

dk; Zdkjh l kjka k

राज्यों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने और स्थानीय निकायों के संसाधनों को परिपूर्ण करने के उद्देश्य से तेरहवें वित्त आयोग ने सभी राज्यों के पंचायती राज संस्थाओं के लिए करों के विभाज्य पूल से ₹ 63,050.50 करोड़ के अनुदान की सिफारिश की थी, जिसमें से ₹ 9,787.70 करोड़ राज्य के पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया था। अनुदान को पेयजल, सीवरेज, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन, मार्ग प्रकाश, सड़कों और अन्य नागरिक सुविधाओं आदि की बुनियादी सुविधाओं के अनुरक्षण एवं रख-रखाव पर व्यय किया जाना था। यह निष्पादन लेखापरीक्षा राज्य के 75 में से 12 जनपदों में 2010-15 की अवधि के लिए पंचायती राज संस्थाओं में तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों के उपभोग पर किया गया। इसमें वित्तीय प्रबंधन, नियोजन, बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराना, कार्यों के निष्पादन, अनुश्रवण आदि में कमियों पर प्रकाश डाला गया है जिसकी चर्चा निम्नवत है:

foRrh; i ca/ku

- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 में सामान्य बुनियादी अनुदान की द्वितीय किश्त ₹ 887.89 करोड़ और सामान्य निष्पादन अनुदान की प्रथम किश्त ₹ 485.51 करोड़ (कुल ₹ 1,373.40 करोड़) उत्तर प्रदेश सरकार को क्रमशः फरवरी और मार्च 2015 में जारी किए गये थे। फिर भी, नमूना जांच में चयनित जिला पंचायतों में प्रक्रियात्मक विलंब के कारण उक्त अनुदान क्रमशः अप्रैल और जून 2015 में प्राप्त हुए थे। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2014-15 की अवधि में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा आवंटित धनराशि का उपभोग नहीं किया जा सका।

¶i Lrj 2-1-6-1½

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2011-15 की अवधि में, राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के लिए ₹ 3,339.43 करोड़ सामान्य निष्पादन अनुदान का आहरण अनुदान प्राप्त करने के लिए पूर्व अपेक्षित शर्तों का पूर्णतः पालन किये बिना ही किया गया।

¶i Lrj 2-1-6-2)

- 31 जुलाई 2015 को ₹ 24.69 करोड़ (₹ 16.30 करोड़ के ब्याज सहित) का अनुदान लखनऊ के आठ अग्रणी बैंकों द्वारा 31 से 74 दिनों तक निर्गत नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, ₹ 20.64 करोड़ का अनिर्गत अवशेष भी विभिन्न बैंकों में 31 जुलाई 2015 को विगत 74 दिनों से पड़ा था। इस प्रकार, पंचायती राज संस्थाओं को निर्धारित समय सीमा के अन्दर ₹ 45.33 करोड़ को हस्तांतरित नहीं किया गया था।

¶i Lrj 2-1-6-3½

- वर्ष 2010-15 की अवधि में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत से संबंधित अनुदान यद्यपि कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर जारी किया गया था परन्तु चयनित जिला पंचायतों के बैंक खातों में एक से 143 दिनों के विलंब से जमा हुआ था।

Wi Lrj 2-1-6-4%

- नमूना जाँच किए गये पंचायती राज संस्थाओं में सितम्बर 2014 तक ₹ 324.36 करोड़ प्राप्त हुआ था जिसमें से मार्च 2015 तक ₹ 266.43 करोड़ व्यय किया गया और ₹ 57.93 करोड़ अप्रयुक्त पड़ा था।

Wi Lrj 2-1-6-6] 2-1-6-8 , oa 2-1-6-9%

dk; k̄ , oa foRrh; yu&nu ds vfHkys[kka dk j [k&j [kko

- नियमों के अधीन निर्धारित विभिन्न बुनियादी अभिलेखों का जिला पंचायत / क्षेत्र पंचायत में रख रखाव नहीं किया गया था और ग्राम पंचायतों में भी लगभग न के बराबर रख&रखाव किया गया। इसलिए, चयनित जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा 2010-15 की अवधि में किये गये व्यय ₹ 266.43 करोड़ की सत्यता की प्रमाण पूर्वक लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

Wi Lrj 2-1-7%

dk; Øe dk; k̄Jo; u

- तेरहवें वित्त आयोग अनुदान का जिला पंचायत द्वारा सीधे उपयोग के लिए वार्षिक कार्ययोजना या तो अपूर्ण बनायी गयी या बनायी ही नहीं गयी। क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों ने भी 2010-15 की अवधि में वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी।

Wi Lrj 2-1-8%

- वर्ष 2010-15 की अवधि में चयनित जिला पंचायतों द्वारा ₹ 214.60 करोड़ का व्यय मुख्य रूप से नये सड़क कार्यों पर किया गया एवं कुल व्यय ₹ 225.07 करोड़ का मात्र 4.65 प्रतिशत परिसंपत्तियों की मरम्मत व रख-रखाव पर किया गया था।

Wi Lrj 2-1-8- , oa ifjf'k"V 2-1-9%

- नमूना जाँच किये गये नौ जिला पंचायतों द्वारा 2010-15 की अवधि में 208 कार्यों का संपादन अनुबंध आधार पर कराया गया तथा कार्य विलम्ब से पूर्ण किये गये थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्यों को समय से पूर्ण करने हेतु कार्यों की स्तर वार प्रगति की समीक्षा नहीं की गई और ठेकेदारों पर ₹ 2.15 करोड़ कम का अर्थ-दण्ड लगाया गया था।

Wi Lrj 2-1-8 , oa ifjf'k"V 2-1-11%

- ग्राम पंचायतों द्वारा बिना आगणन बनाये कार्यों का निष्पादन किया गया और तुलनात्मक दर प्राप्त किये बिना ₹ 18.27 करोड़ (₹ 9.67 करोड़ की सामग्री क्रय सहित) की लागत का कार्य कराया गया।

Wi Lrj 2-1-8] ifjf'k"V 2-1-13 , oa 2-1-15%

vuϕo.k

- जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ लखनऊ द्वारा जिला पंचायतों द्वारा कराये गये कार्यों का भौतिक निरीक्षण नहीं किया गया था। चयनित छह जिला पंचायतों ने

जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया था। जिला पंचायत राज अधिकारियों द्वारा किया गया अनुश्रवण अपर्याप्त था। पंचायती राज संस्थाओं की नियोजन एवं विकास समिति कार्यशील नहीं थी क्योंकि कार्यों को बिना उनके वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृति के निष्पादित किया गया था।

¶ [rj 2-1-9-2] 2-1-9-3 , 0a 2-1-9-4¶

2-1-1 iLrkouk

तेरहवें वित्त आयोग का गठन (13 नवम्बर 2007), करों के हस्तांतरण एवं अनुदानों के माध्यम से राज्यों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। तेरहवें वित्त आयोग ने पिछले वर्ष के विभाज्य पूल के एक प्रतिशत के रूप में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 के अन्तर्गत इस हिस्सेदारी को सहायता अनुदान में परिवर्तित करने के पश्चात, (राज्यों के अंश के अतिरिक्त) स्थानीय निकायों के लिए सहायता अनुदान की सिफारिश की थी। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने तेरहवें वित्त आयोग द्वारा की गयी अनुशंसा के अनुसार अनुदान के अवमुक्त एवं उपभोग के सम्बंध में ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों के लिए निर्देश जारी किए (सितम्बर 2010)। अनुदान के दो घटक सामान्य बुनियादी अनुदान एवं सामान्य निष्पादन अनुदान थे। राज्यों के लिए उपलब्ध सामान्य बुनियादी अनुदान की धनराशि तेरहवें वित्त आयोग की अवधि (2010-15) में पिछले वर्ष के विभाज्य पूल के 1.5 प्रतिशत के बराबर थी। वर्ष 2011-12 से चार वर्ष की अवधि के लिए सभी राज्यों के लिए सामान्य निष्पादन अनुदान पिछले वर्ष के विभाज्य पूल के 0.5 प्रतिशत की दर से 2011-12 के लिए एवं उसके बाद 2014-15 तक के लिए एक प्रतिशत की दर से उपलब्ध था। पंचायती राज संस्थाओं के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान एवं सामान्य निष्पादन अनुदान के लिए उत्तर प्रदेश की राज्यवार हिस्सेदारी 2010-15 की अवधि में इन घटकों के सम्बन्ध में सभी राज्यों को अनुदान के आवंटन की कुल धनराशि का 15.52 प्रतिशत निश्चित की गयी थी। पंचायती राज संस्थाओं के लिए ये अनुदान व्यय की शर्तों के तहत मुक्त थे तथा पिछले वर्ष के किशतों के उपभोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर अवमुक्त किए जाने थे।

भारत सरकार के उक्त मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों पर आधारित राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के लिए तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों के अवमुक्त एवं उपभोग हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए (दिसम्बर 2010)। अनुदान को मूलभूत सुविधाओं के अनुरक्षण एवं रख-रखाव पर व्यय जैसे पेयजल, सीवरेज, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबन्धन, मार्ग प्रकाश, सड़क एवं अन्य नागरिक सुविधाओं पर व्यय किया जाना था। अनुदान को स्वच्छता सुविधाओं एवं सभी को पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पुरानी जलापूर्ति योजनाओं के पुनर्वास एवं नवीन पेयजल योजनाओं पर भी उपभोग किया जा सकता था। पंचायती राज संस्थाओं को अनुगामी किशत जारी करने के लिए निर्धारित प्रारूप में उनके द्वारा उपभोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था।

आवश्यकताओं के आकलन के आधार पर तेरहवें वित्त आयोग द्वारा सभी राज्यों के पंचायती राज संस्थाओं के लिए ₹ 63,050.50 करोड़ की सिफारिश की गई। इसमें से उत्तर प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं के लिए ₹ 9,787.70¹ करोड़ (15.52 प्रतिशत)

¹ अनुदान के उपरोक्त आंकड़े तेरहवें वित्त आयोग के अपनी अवधि के लिए अनुमानित करों के विभाज्य पूल पर आधारित हैं। वास्तविक निर्गत अनुदान की निर्भरता कर वसूली के अनुसार परिवर्तित रहेगी।

jkT; ds i pk; rh jkt
 l Fkkvka ds fy, rj goa
वित्त आयोग us ₹ 9]787-
 90 dj kM+ dh vuq ka k
 dh Fkh

तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया गया था। इस अनुपात में वर्ष 2010-15 में सामान्य बुनियादी अनुदान के लिए ₹ 6,399.52 करोड़ (65.38 प्रतिशत) एवं वर्ष 2011-15 में सामान्य निष्पादन अनुदान के लिए ₹ 3,388.18 करोड़ (34.62 प्रतिशत) शामिल था।

2-1-2 l kkBukRed <kjpk

राज्य में, अक्टूबर 2015 में 75 जिला पंचायतें², 821 क्षेत्र पंचायतें एवं 59,162 ग्राम पंचायतें थीं। शासन स्तर पर, प्रमुख सचिव, पंचायती राज जो कि निदेशक पंचायती राज द्वारा सहायित हैं, अनुदान के अवमुक्ति, प्रभावी उपभोग एवं समग्र अनुश्रवण के लिए जिम्मेदार हैं। वह बुनियादी ढाँचों के रख-रखाव के लिए तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान की आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए भी जिम्मेदार थे। अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत स्तर पर, खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत स्तर पर एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी ग्राम पंचायत स्तर पर अनुदान के मितव्ययी एवं प्रभावी उपभोग के साथ बुनियादी सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार थे। अग्रेत्तर, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ लखनऊ एवं जिला पंचायत राज अधिकारी क्रमशः जिला पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों/ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित कार्यों पर किए गये व्यय की निगरानी के लिए जिम्मेदार थे (ifj'k"V 2-1-1)। उक्त के अतिरिक्त, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति, उत्तर प्रदेश सरकार भी पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान की गयी अनुदान की विशेष शर्तों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थी।

2-1-3 ys[kki jh{kknfn';

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलित करना था कि:

- पंचायती राज संस्थाओं के अनुदान को समय से आवंटन एवं अवमुक्ति को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय प्रबंधन पर्याप्त एवं प्रभावी था और उनके द्वारा उसका उपभोग तेरहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत मानदण्डों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार था।
- पंचायती राज संस्थायें वित्तीय लेन-देनों एवं कार्यों के सम्पादन के यथा निर्धारित उपयुक्त अभिलेखों का रख-रखाव कर रही थी।
- नियोजन प्रक्रिया नीचे से ऊपर की पद्धति का अनुकरण करते हुए उचित आवश्यकता के आकलन के आधार पर व्यापक थी।
- आधारभूत सेवाएँ एवं पुनर्वास और स्वच्छता सुविधाओं के उच्चीकरण तथा पेयजल सुविधाओं के रख-रखाव एवं अनुरक्षण को पर्याप्त प्राथमिकता प्रदान की गयी थी क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुदानों के उपभोग के लिए अधिसूचित मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार यह मुख्य क्षेत्र थे।
- निर्धारित मानक/विशिष्टियों के अनुसार कार्यों/परियोजनाओं को कुशलतापूर्वक सम्पादित किया गया, कार्यों के निष्पादन एवं सामग्री क्रय के लिए निविदा प्रक्रिया पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी थी एवं धनराशि के मूल्यों को सुनिश्चित किया गया, और
- निर्धारित उद्देश्यों के लिए अनुदान के समुचित उपभोग को सुनिश्चित करने के लिए अनुश्रवण तंत्र एवं आंतरिक नियंत्रण सुदृढ एवं प्रभावी था।

² अनुदानों को 72 जिलों में जारी किया गया आगे चल कर यह जिले 75 जिलों में बंट गये।

2-1-4 ys[kki jh{kk ekun.M

मानदण्ड के स्रोत निम्नलिखित थे:

- तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाएँ, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत किये गये अनुदान के अवमुक्ति एवं उपभोग के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश;
- वित्तीय नियमों के प्राविधान, लोक निर्माण विभाग संहिता, कोषागार कोड, शासनादेश, वित्तीय हस्तपुस्तिका, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश, पंचायती राज अधिनियम एवं विभागीय मैनुअल; एवं
- पंचायती राज विभाग में प्रस्तुत/अनुरक्षित विभिन्न प्रतिवेदन एवं विवरणियाँ।

2-1-5 ys[kki jh{kk dh i) fr , oa {ks=

लेखापरीक्षा द्वारा राज्य के 75 जिलों में से 12 जिलों एवं उनके जिला पंचायतों का चयन निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए सिम्पल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के अनुसार किया गया। हमने चयनित जिलों के 12 जिला पंचायत राज अधिकारियों इन चयनित जिलों के 135 क्षेत्र पंचायतों में से 28 क्षेत्र पंचायतों तथा इन चयनित क्षेत्र पंचायतों के 1,793 ग्राम पंचायतों में 182 ग्राम पंचायतों का भी चयन किया। वित्तीय वर्ष 2010-15 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जांच मई से अगस्त 2015 तक की गयी। योजनाओं, बजट की तैयारी, स्वीकृति एवं अनुदानों की अवमुक्ति आदि से सम्बंधित अभिलेखों की जांच प्रमुख सचिव, पंचायती राज, निदेशक, पंचायती राज एवं जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ, लखनऊ के कार्यालयों में भी किया गया। प्रत्येक चयनित जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के दो कार्यों के फोटोग्राफ भी लिए गये। प्रारंभिक संगोष्ठी का आयोजन 16 अप्रैल 2015 को प्रमुख सचिव, पंचायती राज के साथ किया गया जिसके दौरान उत्तर प्रदेश सरकार से लेखापरीक्षा पद्धति, कार्यक्षेत्र उद्देश्यों एवं लेखापरीक्षा मानदण्ड पर चर्चा की गयी। राज्य सरकार से प्राप्त उत्तर (दिसम्बर 2016) को समुचित तरीके से सम्मिलित किया गया। राज्य सरकार को बार-बार अनुस्मारक के पश्चात भी राज्य सरकार के साथ समापन संगोष्ठी नहीं की जा सकी।

ys[kki jh{kk fu"d"kl

2-1-6 foRrh; i.c/ku

jkT; Lrjh; fu"d"kl

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों की स्वीकृति के फलस्वरूप, भारत सरकार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 2010-11 से 2014-15 तक सामान्य बुनियादी अनुदान की दो किस्तों को (जनवरी एवं जुलाई) अवमुक्त करना था। अग्रेत्तर, वर्ष 2011-12 से सामान्य निष्पादन अनुदान को भी दो किस्तों में अवमुक्त किया जाना था। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदानों को जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में क्रमशः 20:10:70 के अनुपात में वितरित एवं स्थानांतरित किया जाना था।

2-1-6-1 Hkkjr ljdkj }kjk vuqku dk voefDr dj.k ,oa mRrj ins'k ljdkj }kjk vuqku dks LFkkukarfjr djuk

भारत सरकार द्वारा अनुदानों को अवमुक्त करने के पश्चात, उत्तर प्रदेश सरकार अपने बजट के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान सहायता अन्तर्गत किया। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010-15 की अवधि में जारी सामान्य बुनियादी अनुदान एवं सामान्य निष्पादन अनुदानों एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित की गयी धनराशियों का विवरण l.kj.kh 1 में दिया गया है।

l.kj.kh 1% Hkkjr ljdkj }kjk voefDr] mRrj ins'k ljdkj }kjk i'pk; rh jkt l LFkkvka dks LFkkukarfjr ,oa mRrj ins'k ljdkj ds ikl vo'ks'k vuqku

₹ dj.kM+ ea

Ø0 l Ø	o"l	jkt; ljdkj dks Hkkjr ljdkj }kjk voefDr vuqkuka dh dy /kujkf'k			mRrj ins'k ljdkj }kjk i'pk; rh jkt l LFkkvka dks vUrfjr vuqku ³	i'pk; rh jkt l LFkkvka }kjk mi Hkksx i'ek.k&i = ds ek/; e l s l fpr 0; ; /kujkf'k	Hkkjr ljdkj dks jkt; ljdkj }kjk l fpr mi Hkksx dh /kujkf'k	mRrj ins'k ljdkj ds ikl vo'ks'k
		cfu; kh vuqku	fu"i knu vuqku ⁴	dy vuqku				
1.	2010-11	911.29	00.00	911.29	911.29	911.29	911.29	0.00
2.	2011-12	1,142.34	529.94	1,672.28	1,672.28	1,672.28	1,672.28	0.00
3.	2012-13	1,297.68	1,078.97	2,376.65	2,376.65	2,376.65	2,376.65	0.00
4.	2013-14	1,497.06	1,245.01	2,742.07	2,742.07	2,742.07	2,742.07	0.00
5.	2014-15	1,636.30	485.51	2,121.81	748.41	748.41	748.41	1,373.40
	; ksx	6,484.67	3,339.43	9,824.10	8,450.70	8,450.70	8,450.70	1,373.40

(स्रोत: पंचायती राज निदेशालय)

2014&15 ds vUrfjr ea i'pk; rh jkt l LFkkvka dks voefDr ₹ 1373.40 dj.kM+2015&16 ea iklr gq s ftl l ; ; g i'pk; rh jkt l LFkk; a ml /kujkf'k dk mi Hkksx ml h foRrh; o"l 2014&15 ea ugha dj l dh

लेखापरीक्षा के दौरान हमने देखा कि वर्ष 2014-15 से सम्बंधित अनुदान ₹ 1,373.40 करोड़ (सामान्य बुनियादी अनुदान की दूसरी किस्त ₹ 887.89 करोड़ एवं सामान्य निष्पादन अनुदान की प्रथम किस्त ₹ 485.51 करोड़) भारत सरकार द्वारा फरवरी एवं मार्च 2015 में निर्गत की गयी थी। परिणामस्वरूप, यह अनुदान वित्तीय वर्ष 2014-15 की अवधि में उपभोग नहीं किया जा सका।

निदेशक, पंचायती राज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना 1/1 क.ख 1½ दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को धनराशि तत्परता से निर्गत की गयी थी तथा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत उपभोग प्रमाण-पत्र के अनुसार अनुदान का व्यय उसी वित्तीय वर्ष में किया गया। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने पाया कि न तो निर्धारित समय-सीमा के भीतर पंचायती राज संस्थाओं के बैंक खाते में अनुदान जमा किया गया और न ही उसी वित्तीय वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं ने अनुदान का उपभोग किया जैसा कि अनुवर्ती प्रस्तारों 2.1.6.3, 2.1.6.6 एवं 2.1.6.7 में चर्चा की गयी है।

2-1-6-2 'krk dks i'jk fd, fcuk vuqku dh ekax

सामान्य निष्पादन अनुदान का आहरण तभी किया जाना था जब तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 6 शर्तों का अनुपालन राज्य सरकार कर लेती।

³ उत्तर प्रदेश सरकार ने भी वर्ष 2012-13 में ₹ 2.02 करोड़ ब्याज के रूप में पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया।

⁴ वर्ष 2012-14 के दौरान प्राप्त ₹ 548.80 करोड़ की जब्त/अतिरिक्त निष्पादन अनुदानों को शामिल करते हुए।

जबकि लेखापरीक्षा ने देखा कि वित्तीय वर्ष 2011-15 की अवधि में राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सामान्य निष्पादन अनुदान ₹ 3,339.43 करोड़ आहरित किया परन्तु राज्य सरकार द्वारा सामान्य निष्पादन अनुदान प्राप्ति के लिए पूर्व अपेक्षित शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया। राज्य सरकार द्वारा अनुपालन की स्थिति एवं शर्तों का विवरण | kj . kh 2 में दिया गया है।

| kj . kh 2% | keku; fu"i knu vuṅku tkjh gkus ds fy, i ṅl vi f{kr
'krkḁ ds vuṅ kyu dh fLFkr

00 1.0	fu"i knu vuṅku ds fy, 'krḁ	j dkj }kj k vuṅ kyu dh fLFkr
1	राज्य सरकार के बजट में पंचायती राज संस्थाओं के लिए बजट प्रावधान, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लेखाओं के रख रखाव के लिए एक लेखा प्रणाली तथा पंचायतों के लिए माडल लेखाकन प्रणाली के अनुसार संहिताकरण पद्धति राज्य द्वारा अवश्य अपनायी जाए।	अनुपालन किया।
2	नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन व सहायता लेखापरीक्षा तथा तकनीकी मार्गदर्शन व सहायता लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवम् स्थानीय निधि के निदेशक की प्रतिवेदन राज्य विधान सभा में रखना।	पंचायती राज नियमों में आवश्यक संशोधन 2011 में किए गये। यद्यपि सिर्फ . वर्ष 2010-11 तक का वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन राज्य विधान सभा में प्रस्तुत की गयी थी एवं मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी, पंचायत की 2010-11 से आगे की वार्षिक प्रतिवेदन अब तक प्रस्तुत नहीं की गयी है।
3	अनुदानों के इलेक्ट्रानिक स्थानांतरण हेतु प्रणाली का विकास जिससे पंचायती राज संस्थाओं में पांच दिनों के अन्दर भारत सरकार से अवमुक्त अनुदान अंतरित किया जा सके।	अनुदानों का इलेक्ट्रानिक स्थानांतरण किया गया। यद्यपि, चयनित जिला पंचायतों के बैंक खातों में एक दिन से 143 दिनों के विलम्ब से अनुदान पहुँची थी। क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत में समुचित तरीके से अभिलेखों का रख रखाव न होने से अनुदानों के विलम्ब से पहुँचने को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।
4	पंचायती राज संस्थाओं के लिए लोकपाल की नियुक्ति	वर्तमान लोकायुक्त को लोकपाल का कार्य सौंपा गया था। यद्यपि, ग्राम पंचायत लोकायुक्त के अधीन नहीं है।
5	राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण	उत्तर प्रदेश सरकार के उत्तर के अनुसार वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन एवं सचिव के लिए नामित किया जा रहा है। यद्यपि, सदस्यों की वांछित योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया था।
6	स्थानीय निकायों को सम्पत्ति कर लगाने के लिए सक्षम बनाना	उत्तर प्रदेश सरकार के जवाब के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं द्वारा करों की वसूली के लिए उत्तर प्रदेश जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के अंतर्गत कोई प्रतिबंध नहीं है। यद्यपि केवल जिला पंचायतें कर आरोपित कर रही हैं।

(स्रोत: पंचायती राज निदेशालय)

j kT; | j dkj }kj
₹ 3]339-43 dj kM+
fu"i knu vuṅku i klr
fd; k x; k FkkA rFkfi]
vuṅku gsrq vf/knf' kr
'krkḁ dk i j h rjg l s
vuṅ kyu ugha fd; k
x; k Fkk

इस प्रकार वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन एवं मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी प्रतिवेदन राज्य विधान सभा में समय से प्रस्तुत करने और पंचायती राज संस्थाओं को समय से अनुदान स्थानांतरित करने की शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा था। लेखापरीक्षा के बार-बार अनुरोध के बावजूद राज्य सरकार ने वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन को सदन में रखा जाना सुनिश्चित नहीं किया। राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया था एवं ग्राम पंचायतों को विद्यमान वर्तमान लोकायुक्त के अंतर्गत नहीं लाया गया था। इस प्रकार, बिना निर्धारित शर्तों के अनुपालन के राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से सामान्य निष्पादन अनुदान के ₹ 3,339.43 करोड़ की मांग की गयी।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर में बताया (दिसम्बर 2015) कि ग्राम पंचायत की संख्या 50,000 से अधिक है इसलिए ग्राम पंचायतों को लोकायुक्त के अंतर्गत लाना व्यावहारिक नहीं है। राज्य वित्त आयोग के सदस्यों के योग्यता के संदर्भ में यह बताया गया कि राज्य वित्त आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष के पदों के लिए वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को नामित किया जा रहा है। अन्य शर्तों के अनुपालन के संदर्भ में कोई विशेष उत्तर नहीं दिया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सामान्य निष्पादन अनुदानों को प्राप्त करने के लिए सभी छः शर्तों का अनुपालन आवश्यक था जो सुनिश्चित नहीं किया गया था।

2-1-6-3 i p k ; r h j k t | L F k k v k a d k s v u p n k u k a d k L F k k u k a r j . k u f d ; k t k u k

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण प्रणाली के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान जारी करने के लिए राज्य सरकार ने निदेशक पंचायती राज को लखनऊ के नौ अग्रणी बैंकों⁵ की शाखा में एक-एक बचत खाता खोलने का निर्देश दिया (जनवरी 2011)। इन खातों में अर्जित ब्याज पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया (अगस्त 2015) कि 31 जुलाई 2015 तक अनुदान के ₹ 24.69 करोड़ (₹ 16.30 करोड़ ब्याज सहित) 31 दिन से 74 दिनों के विलम्ब के बावजूद सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं को जारी नहीं किया गया था तथा लखनऊ में स्थित आठ अग्रणी बैंकों में खोले गये खातों में यह धनराशि अप्रयुक्त पड़ी थी। इसके अतिरिक्त 31 जुलाई 2015 को विगत 74 दिनों से विभिन्न बैंक खातों में ₹ 20.64 करोड़ अप्रयुक्त पड़ा था। लेकिन इन बैंकों में पड़ी अवशेष धनराशि पर अर्जित ब्याज की स्थिति से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया। पुनः अग्रणी बैंकों में एक खाता खोले जाने की स्वीकार्यता के विरुद्ध वर्ष 2010-15 के मध्य बैंक आफ इंडिया सचिवालय शाखा लखनऊ में निदेशक पंचायती राज द्वारा 17 बैंक खाते खोले गये। विभिन्न बैंक खाते खोला जाना सरकार के आदेश (जनवरी 2011) के विरुद्ध था। विभिन्न बैंकों में पड़ी हुई अप्रयुक्त अवशेष धनराशि का विवरण *ifff'k"V 2-1-2* में दिया गया है। इस प्रकार ₹ 45.33 करोड़ की धनराशि निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को स्थानान्तरित नहीं की गई थी।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर में बताया कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों में ब्याज के उपयोग के लिए कोई निर्देश नहीं दिया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार के दिशानिर्देश में पांच दिनों के भीतर अनुदान के स्थानांतरण का स्पष्ट रूप से अधिदेश था एवं विलम्ब के मामले में ब्याज भी पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित किया जाना था।

2-1-6-4 i p k ; r h j k t | L F k k v k a d k s v u p n k u L F k k u k a r j . k o Ø f M V e a f o y a c

वित्त मंत्रालय द्वारा तेरहवें वित्त आयोग के लिए जारी मार्गदर्शी सिद्धांत (सितम्बर 2010) के अनुसार भारत सरकार से धनराशि प्राप्ति के पांच दिनों के अन्दर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को निश्चित रूप से स्थानांतरित किया जाना था। अनुदान के विलम्ब से स्थानांतरण करने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दर से ब्याज के साथ राज्य सरकार द्वारा किश्त अवमुक्त की जानी थी।

⁵ इलाहाबाद बैंक, बैंक आफ बड़ोदा, बैंक आफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सिंडीकेट बैंक, एवं यूनियन बैंक आफ इण्डिया।

● जैसा कि पूर्व में प्रस्तर 2.1.6.1 में चर्चा की जा चुकी है कि वर्ष 2014-15 के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान (₹ 887.89 करोड़) की द्वितीय किश्त तथा सामान्य निष्पादन अनुदान (₹ 485.56 करोड़) की प्रथम किश्त भारत सरकार द्वारा क्रमशः 23 फरवरी 2015 व 31 मार्च 2015 को अवमुक्त की गयी थी। निर्धारित समयावधि के अन्दर 27 फरवरी 2015 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामान्य बुनियादी अनुदान को स्थानांतरित कर दिया गया था किन्तु 32 दिनों के विलम्ब के साथ सामान्य निष्पादन अनुदान को स्थानांतरित (07 मई 2015) किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन अनुदानों को पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान स्थानांतरित करने वाले लीड बैंकों द्वारा क्रमशः 30 तथा 54 दिनों के विलम्ब से भेजा गया। विलम्ब से अनुदान अवमुक्त करने पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत आवंटन आदेशों के अन्तर्गत विहित ब्याज उत्तर प्रदेश सरकार/बैंकों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को जुलाई 2015 तक नहीं भेजा गया था।

I kekl; cfu; knh o
fu"i knu vupku
i p; rh jkt l LFkkvka
ea , d l s 143 fnuka ds
foyc l s i klr gpz

● लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2010-15 (फरवरी व मार्च 2015 में अवमुक्त अनुदान को छोड़कर) की अवधि में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत से सम्बंधित अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यद्यपि कि निर्धारित समय सीमा के अन्दर स्थानांतरित कर दिया गया था किन्तु चयनित जिला पंचायत के बैंक खातों में अनुदान (₹ 276.67 करोड़) एक से 143 दिनों के विलम्ब से क्रेडिट किया गया $\frac{1}{2}$ अनुदान क्रेडिट करने में विलम्ब के कारण चयनित जिला पंचायत को ₹ 1.03 करोड़ के ब्याज की हानि हुई। चयनित क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत को अनुदान प्राप्ति में विलम्ब की स्थिति लेखापरीक्षा में ज्ञात नहीं की जा सकी क्योंकि या तो सम्बंधित अभिलेख यथा अनुदान पंजिका, बैंक खाता आदि अनुरक्षित नहीं थे अथवा उचित ढंग से अनुरक्षित नहीं थे।

राज्य सरकार द्वारा अपने उत्तर में यह बताया गया कि फरवरी 2015 में अवमुक्त सामान्य बुनियादी अनुदान (₹ 887.89 करोड़) वर्ष 2014-15 में उपभोग कर लिया गया तथा 31 मार्च 2015 को अवमुक्त सामान्य निष्पादन अनुदान (₹ 485.56 करोड़) 14वें वित्त आयोग से पुनर्विनियोग के द्वारा वर्ष 2015-16 में उपभोग किया गया तथा भारत सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित कर दिया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि चयनित जिला पंचायत द्वारा मात्र अप्रैल 2015 में सामान्य बुनियादी अनुदान (₹ 887.89 करोड़) और सामान्य निष्पादन अनुदान (₹ 485.56 करोड़) जून 2015 में प्राप्त किया गया था। इस प्रकार निर्धारित अवधि 2014-15 के अंतर्गत अनुदानों का उपभोग नहीं किया गया था। अग्रेतर 14वें वित्त आयोग के अनुदान से जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत को धन का पुनर्विनियोग अनुमन्य न था।

2-1-6-5 mi HkkDrk i Hkkjka dk u yxk; k tkuk

पंचायती राज संस्थाओं के स्वयं के राजस्व संसाधनों को बढ़ाने के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों के क्षेत्र में स्थित उनके परिसरों के सम्बंध में सरकारी विभागों द्वारा उचित उपभोक्ता प्रभारों के भुगतान हेतु कार्यकारी अनुदेश जारी करने के लिए राज्य और केन्द्र सरकार से आग्रह किया था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि इस सम्बंध में सरकारों द्वारा कोई भी निर्देश जारी नहीं किया गया था। तथापि राज्य सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 व उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रभारों को आरोपित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

2-1-6-6 वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत स्थानांतरित अनुदान निर्धारित अवधि के भीतर उपभोग कर लिया जाना था।

पंचायती राज संस्थाओं के बैंक खातों में तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत स्थानांतरित अनुदान निर्धारित अवधि के भीतर उपभोग कर लिया जाना था।
 ₹ 276.67 करोड़ 2010-15 के दौरान (अगस्त/सितम्बर 2014 तक) प्राप्त किया गया।
 इसके सापेक्ष ₹ 225.07 करोड़ व्यय किया गया जबकि ₹ 51.60 करोड़ मार्च 2015 तक अप्रयुक्त पड़े थे। चयनित जिला पंचायत में 2010-15 की अवधि में अवमुक्त अनुदान, व्यय एवं अव्ययित अनुदानों का व्यौरा तालिका 3 में दिया गया है।

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत स्थानांतरित अनुदान निर्धारित अवधि के भीतर उपभोग कर लिया जाना था।

तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि नमूना जांच किये गये 12 जिला पंचायतों द्वारा ₹ 276.67 करोड़ 2010-15 के दौरान (अगस्त/सितम्बर 2014 तक) प्राप्त किया गया। इसके सापेक्ष ₹ 225.07 करोड़ व्यय किया गया जबकि ₹ 51.60 करोड़ मार्च 2015 तक अप्रयुक्त पड़े थे। चयनित जिला पंचायत में 2010-15 की अवधि में अवमुक्त अनुदान, व्यय एवं अव्ययित अनुदानों का व्यौरा तालिका 3 में दिया गया है।

तालिका 3 में दिया गया है।

₹ करोड़

क्र.सं.	वर्ष	वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत स्थानांतरित अनुदान			वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत उपभोग	अव्ययित अनुदान
		वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत उपभोग	वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत उपभोग	वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत उपभोग		
1.	2010-11	0.00	29.97	29.97	12.68	17.29
2.	2011-12	17.29	24.76	42.05	23.83	18.22
3.	2012-13	18.22	46.19	64.41	27.70	36.71
4.	2013-14	36.71	122.62	159.33	67.19	92.14
5.	2014-15	92.14	53.13	145.27	93.67	51.60
		₹	276.67		225.07	51.60

(स्रोत: पंचायती राज निदेशालय)

जिला पंचायतवार अनुदान का स्थानांतरण, व्यय एवं अवशेष अनुदानों की मार्च 2015 तक की स्थिति तालिका 2-1-4 में दिया गया है।

उत्तर में राज्य सरकार द्वारा कहा गया (दिसम्बर 2015) कि जिला पंचायत द्वारा आगामी वर्ष में धनराशि का उपभोग कर लिया जायेगा। उत्तर लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है।

2-1-6-7 धनराशि का उपभोग कर लिया जाना था।

पंचायती राज संस्थाओं के बैंक खातों में तेरहवें वित्त आयोग अनुदान को राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरित किया जाना था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्देश (मार्च 2012) जारी किया गया कि उसके द्वारा अवमुक्त धनराशि, यदि ब्याज अर्जित करने के लिए सरकारी विभागों/निगमों/लोक उपक्रमों/स्थानीय निकायों द्वारा बैंक खातों में रखी जाती है तो, इस प्रकार से अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय मानी जाएगी तथा राज्य कोषागार में जमा की जायेगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जिला पंचायत के बैंक खातों में अनुदानों को स्थानांतरित किया गया था परंतु जिला पंचायत द्वारा सामूहिक बैंक खाता खोले गये थे जिसमें अन्य योजनाओं यथा राज्य वित्त आयोग आदि की धनराशि भी रखी गयी थी, जिसके कारण तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान की अव्ययित धनराशि पर ब्याज की गणना किया जाना संभव न हो सका। तथापि, नमूना जांच किये गये 10 जिला पंचायतों द्वारा विभिन्न योजनाओं के अनुदान पर 2010-15 में कुल ₹ 10.01 करोड़ ब्याज अर्जित किया गया। किंतु सम्बंधित जिला पंचायत द्वारा जून 2015 तक राज्य कोषागारों में ब्याज जमा नहीं किया गया था तालिका 2-1-5।

अग्रेतर, यह भी देखा गया कि जिला पंचायत बहराइच द्वारा अनुदान पृथक बैंक खाते में रखा गया था तथा 2010-15 में ₹ 89.82 लाख ब्याज अर्जित किया गया। इटावा, गौतमबुद्धनगर व गोण्डा की जिला पंचायत द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा बैंक खातों पर ₹ 155.58 लाख⁶ ब्याज अर्जित किया गया तथा ब्याज को जिला पंचायत की आय मानते हुए जिला निधि में स्थानांतरित कर दिया गया (ifj'k"V 2-1-5)।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर में यह कहा गया कि पांच जिला पंचायतों के अपर मुख्य अधिकारियों द्वारा बताया गया कि ब्याज को कोषागार में जमा करने के सम्बंध में आवश्यक निर्देश प्राप्त नहीं हुए। तीन जिला पंचायतों द्वारा बताया गया कि तेरहवें वित्त आयोग के कार्यों हेतु ब्याज व्यय किया गया। शेष दो जिलों के अपर मुख्य अधिकारियों द्वारा बताया गया कि ब्याज बैंक खातों में पड़ा है। इससे अर्जित ब्याज राज्य सरकार को स्थानांतरित न करने के तथ्य की पुष्टि होती है।

{ks= i p k; r Lrj dh ys[kki j h{kk vki fRr; k;

2-1-6-8 voePr] 0; ; rFkk v0; f; r vuqku

जैसा कि पूर्व में प्रस्तर 2.1.1 में चर्चा की जा चुकी है कि निर्धारित अवधि के अन्दर बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने पर ही क्षेत्र पंचायत को स्थानांतरित अनुदान का उपयोग किया जाना था।

p; fur {ks= i p k; r es
i klr ₹ 27-84 dj kM+
%vxLr@fl rEcj 2014
rd% es l s ₹ 4-75
dj kM+ekpl 2015 rd
viz; Pr i M s Fks

तथापि लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया कि 2010-15 में (अगस्त/सितम्बर 2014 तक) कुल उपलब्ध ₹ 27.84 करोड़ में से मार्च 2015 तक ₹ 23.09 करोड़ अनुदान नमूना जांच किये गये क्षेत्र पंचायतों द्वारा व्यय किया गया था। 2010-15 में अवमुक्त अनुदान, व्यय किया गया अनुदान तथा अनुदान का प्रगामी अवशेष का विस्तृत विवरण l kj . kh 4 में नीचे दिया गया है:

l kj . kh 4% o"kbkj voePr vuqku] 0; ; rFkk viz; Pr vuqku

₹ dj kM+ es

Ø0 l 0	o"kl	{ks= i p k; rka ea mi yC/k vuqku			{ks= i p k; rka }kj k 0; ;	vuqkuka dk izkeh vo' k'sk
		i kj fHkd vo' k'sk	{ks= i p k; rka dks LFkkukar fjr vuqku	{ks= i p k; rka ds i kl dy vuqku		
1.	2010-11	0.00	3.06	3.06	1.26	1.80
2.	2011-12	1.80	2.99	4.79	2.28	2.51
3.	2012-13	2.51	3.79	6.30	3.83	2.47
4.	2013-14	2.47	11.05	13.52	7.30	6.22
5.	2014-15	6.22	6.95	13.17	8.42	4.75
		; kx	27.84		23.09	

(स्रोत: नमूना जांच की गयी क्षेत्र पंचायतों से एकत्रित सूचना)

उपर्युक्त सारणी से यह प्रमाणित है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंत में ₹ 4.75 करोड़ अव्ययित पड़े थे। मार्च 2015 तक जिलेवार चयनित क्षेत्र पंचायतों को स्थानांतरित अनुदान, व्यय तथा अवशेष अनुदान की स्थिति ifj'k"V 2-1-6 में दी गयी है।

⁶ जिला पंचायतें इटावा, ₹ 69.18 लाख, गौतमबुद्ध नगर, ₹ 59.23 लाख तथा गोण्डा ₹ 27.17 लाख।

2-1-6-9 $\text{voe}\phi\text{r}] 0; ; \text{rFkk v0; f; r vu}\eta\text{ku}$

जैसा कि प्रस्तर 2.1.1 में चर्चा की जा चुकी है कि 2010-15 के निर्धारित अवधि के दौरान ग्राम पंचायतों को स्थानांतरित अनुदान का उपयोग बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु किया जाना था।

तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया कि नमूना जाँच किये गये ग्राम पंचायतों द्वारा 2010-15 में (अगस्त/सितम्बर 2014 तक) कुल उपलब्ध ₹ 19.85 करोड़ में से मार्च 2015 तक ₹ 18.27 करोड़ अनुदान व्यय किया गया था। ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध अनुदान, किया गया व्यय तथा सम्बंधित वित्तीय वर्ष के अन्त में अव्ययित अवशेष अनुदान का विवरण I kj .kh 5 में दिया गया है।

I kj .kh 5% $\text{voe}\phi\text{r vu}\eta\text{ku}] 0; ; \text{rFkk viz; }\phi\text{r vu}\eta\text{ku dk o}^{\text{b}}\text{kbj fooj .k}$

₹ dj km+ e

Ø0 I 0	o"z	xke i p k; r k e e m i y c/ k vu}\eta\text{ku}			xke i p k; r k e } k j k 0; ;	vu}\eta\text{ku} k dk i z x k e h vo' k' k
		i k j f h k d vo' k' k	xke i p k; r k e d k s L F k k u k U r f j r vu}\eta\text{ku}	xke i p k; r k e d s i k l d y vu}\eta\text{ku}		
1.	2010-11	0.00	1.85	1.85	0.95	0.90
2.	2011-12	0.90	1.91	2.81	2.03	0.78
3.	2012-13	0.78	3.20	3.98	3.24	0.74
4.	2013-14	0.74	7.49	8.23	6.40	1.83
5.	2014-15	1.83	5.40	7.23	5.65	1.58
		; kx	19.85		18.27	

(स्रोत: नमूना जांच किये गये ग्राम पंचायतों से एकत्रित सूचना)

उपर्युक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2014-15 के अंत में ₹ 1.58 करोड़ अवशेष थे। चयनित ग्राम पंचायतों की मार्च 2015 तक स्थानांतरित अनुदान, व्यय तथा अवशेष अनुदान की ग्राम पंचायतवार स्थिति i f j f' k" V 2-1-7 में दी गयी है।

2-1-6-10 $\text{ys}[k k a d u I E c U/ k h d f e; k j$

पंचायती राज संस्थाओं के लेखांकन हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के आठ डाटा फार्मेट⁷ को समाहित करते हुए भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा माडल पंचायती राज लेखा मैनुअल निर्धारित किया गया है। प्रियासाफ्ट, आदर्श पंचायती राज लेखा मैनुअल का एक कम्प्यूटरीकृत संस्करण है जो पंचायती राज विभाग में क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं से सम्बंधित आँकड़े अपलोड करने के लिए विभिन्न माड्यूल उपलब्ध कराता है। प्रियासाफ्ट में तेरहवें वित्त आयोग अनुदान का आँकड़ा अपलोड करने हेतु एक अलग माँड्यूल है। यह माँड्यूल प्राप्ति और व्यय से सम्बंधित आँकड़ों की प्रविष्टि हेतु प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है।

लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि एक बार प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों की प्रविष्टि के उपरान्त, यह सम्बंधित प्रारूप यथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखे, बैंक समाधान विवरण एवं समेकित सार बनाता है। नमूना जांच किये गये पंचायती राज संस्थाओं में मात्र यही

⁷ 1. प्राप्ति एवं भुगतान लेखे 2. समेकित सार पंजिका 3. बैंक समाधान विवरण 4. प्राप्य एवं भुगतान योग्य विवरण 5. अचल संपत्तियों की पंजिका 6. चल संपत्तियों की पंजिका 7. वस्तु सूची पंजिका 8. मांग, वसूली एवं अवशेष पंजिका

तीन प्रारूप बनाये जा रहे थे। नमूना जांच किये गये जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में आठ डाटा प्रारूपों में से अन्य पांच प्रारूपों में आंकड़े अपलोड नहीं किये जा रहे थे।

लेखापरीक्षा द्वारा ऑनलाईन आंकड़ों का हस्तलिखित (मैनुअल) अभिलेखों से सत्यापन करने पर त्रुटिपूर्ण डाटा फीडिंग के प्रकरण पाये गये। इसके अतिरिक्त वर्ष 2014-15 के आंकड़े सभी नमूना जांच ग्राम पंचायतों में जून 2015 तक अपलोड नहीं किये गये थे।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रिया साफ्ट के पांच प्रारूपों में डाटा अपलोड न होने के तकनीकी कारणों का उल्लेख किया गया।

इस प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों में अनुदान का स्थानांतरण न करने, अनुदान के स्थानांतरण में विलम्ब, अर्जित ब्याज को क्रेडिट न करने तथा राज्य स्तर एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अव्ययित धनराशि के कारण वित्तीय प्रबंधन प्रभावित हुआ।

राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थाओं को समय से अनुदान का स्थानांतरण एवं बैंक खाते में क्रेडिट करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा अनुदान के उपभोग का प्रभावी ढंग से अनुश्रवण करना चाहिए।

2-1-7 आंकड़ों का सत्यापन: अनुदान के स्थानांतरण के प्रभावित प्रकरण

वर्ष 2010-15 के लेखापरीक्षा रिपोर्ट में पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय प्रबंधन के संबंध में उचित प्रबंधन, वित्तीय नियंत्रण को लागू करने, निर्धारित गुणवत्ता के मानदण्डों का पालन करने, कार्यों के समयबद्ध निष्पादन का अनुश्रवण व पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा सम्बंधित कार्यदायी संस्थाओं की जवाबदेही हेतु वित्तीय नियम, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् निर्माण कार्य नियमावली 1984 तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत द्वारा किये गये वित्तीय संव्यवहार एवं सम्पादित कार्यों के सम्बंध में अपेक्षित अभिलेख एवं दस्तावेज अनुरक्षित किया जाना विहित करता है।

नियमों के अंतर्गत प्राविधानित आधारभूत अभिलेखों का अनुरक्षण नमूना जांच किये गये जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों में अपर्याप्त पाया गया तथा नमूना जांच की गयी ग्राम पंचायतों में प्रायः अस्तित्व में न था। नमूना जांच किये गये जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों में अनुरक्षित न किये गये अभिलेखों का विवरण तालिका 6 में दिया गया है।

तालिका 6: लेखापरीक्षा रिपोर्ट में पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय प्रबंधन के संबंध में उचित प्रबंधन, वित्तीय नियंत्रण को लागू करने, निर्धारित गुणवत्ता के मानदण्डों का पालन करने, कार्यों के समयबद्ध निष्पादन का अनुश्रवण व पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा सम्बंधित कार्यदायी संस्थाओं की जवाबदेही हेतु वित्तीय नियम, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् निर्माण कार्य नियमावली 1984 तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत द्वारा किये गये वित्तीय संव्यवहार एवं सम्पादित कार्यों के सम्बंध में अपेक्षित अभिलेख एवं दस्तावेज अनुरक्षित किया जाना विहित करता है।

क्र.सं.	विवरण	विवरण	विवरण
01	वित्तीय प्रबंधन के संबंध में उचित प्रबंधन, वित्तीय नियंत्रण को लागू करने, निर्धारित गुणवत्ता के मानदण्डों का पालन करने, कार्यों के समयबद्ध निष्पादन का अनुश्रवण व पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा सम्बंधित कार्यदायी संस्थाओं की जवाबदेही हेतु वित्तीय नियम, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् निर्माण कार्य नियमावली 1984 तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत द्वारा किये गये वित्तीय संव्यवहार एवं सम्पादित कार्यों के सम्बंध में अपेक्षित अभिलेख एवं दस्तावेज अनुरक्षित किया जाना विहित करता है।	मनसूबे	ई-मेल/फोन नंबर; एड्रेस रजिस्टर वित्तीय प्रबंधन के संबंध में उचित प्रबंधन, वित्तीय नियंत्रण को लागू करने, निर्धारित गुणवत्ता के मानदण्डों का पालन करने, कार्यों के समयबद्ध निष्पादन का अनुश्रवण व पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा सम्बंधित कार्यदायी संस्थाओं की जवाबदेही हेतु वित्तीय नियम, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् निर्माण कार्य नियमावली 1984 तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत द्वारा किये गये वित्तीय संव्यवहार एवं सम्पादित कार्यों के सम्बंध में अपेक्षित अभिलेख एवं दस्तावेज अनुरक्षित किया जाना विहित करता है।
1	वार्षिक योजना	वर्ष के दौरान संपादित करने हेतु जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित कार्यों को सूचीबद्ध करने हेतु	नियम-63, उत्तर प्रदेश (क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत) अधिनियम, 1961
2	सम्पत्ति पंजिका	जिला पंचायत द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं में मार्गों के साथ सृजित विभिन्न परिसम्पत्तियों के विवरण को अभिलेखीकृत करने हेतु	नियम-3(1), उत्तर प्रदेश जिला पंचायत व (क्षेत्र पंचायत) (चल/अचल सम्पत्ति) मैनुअल, 1965

3	माप पुस्तिका निर्गम पंजिका	मापन हेतु माप पुस्तिकाओं के उपयोग पर नियंत्रण हेतु जिससे अवैध माप पुस्तिका का प्रयोग न किया जा सके	नियम-36(2), उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् निर्माण नियम, 1984
4	भण्डार प्राप्ति पंजिका	जिला पंचायत में भण्डार सामग्री के प्राप्ति से सम्बंधित आंकड़ों को अभिलेखीकृत करने हेतु	नियम-45, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति व जिला परिषद् निर्माण नियम, 1984
5	भण्डार निर्गम पंजिका	जिला पंचायत द्वारा कार्यों/अन्य इकाईयों को भण्डार सामग्री के निर्गम सम्बंधी आंकड़ों को अभिलेखीकृत करने हेतु	नियम-47, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति व जिला परिषद् निर्माण नियम 1984
6	मार्ग पंजिका	जिला पंचायत में निर्मित सड़कों के विवरण निर्माण/अनुरक्षण का वर्ष एवं स्थान लम्बाई व चौड़ाई आदि की सूचना के अभिलेखीकृत करने हेतु	नियम-4, उत्तर प्रदेश जिला पंचायत व (क्षेत्र पंचायत) (चल/अचल सम्पत्ति) मैनुअल, 1965
7	विस्तृत प्राक्कलन पंजिका	तैयार किये गये प्राक्कलनों की संख्या सुनिश्चित करना व तैयार प्राक्कलन का विवरण अभिलेखीकृत करने हेतु	वि. ह. पुस्तिका खण्ड-6, प्रस्तर-407
8	प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति पंजिका	प्राधिकारी द्वारा दिये गये प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति पर नियंत्रण रखने हेतु	वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6, प्रस्तर 316 व 317
{ks= i pk; rka }kj k vuig f{kr u fd; s x; s vfhkys[ka dh l ph			
1	वार्षिक योजना	वर्ष के दौरान सम्पादित करने हेतु क्षे.पं. द्वारा अनुमोदित कार्यों को सूचीबद्ध करने हेतु	नियम-63, उत्तर प्रदेश (क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत) अधिनियम 1961
2	सम्पत्ति पंजिका	क्षेत्र पंचायत द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं में मार्गों के साथ सृजित विभिन्न परिसम्पत्तियों के विवरण को अभिलेखीकृत करने हेतु	नियम-3(1), उत्तर प्रदेश (जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत) (चल/अचल सम्पत्ति) मैनुअल 1965
3	माप पुस्तिका निर्गम पंजिका	मापन हेतु माप पुस्तिकाओं के उपयोग पर नियंत्रण हेतु, जिससे अवैध माप पुस्तिका का प्रयोग न किया जा सके	नियम-36(2) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति व जिला परिषद् निर्माण नियम 1984
4	भण्डार प्राप्ति पंजिका	क्षेत्र पंचायत में भण्डार सामग्री के प्राप्ति से सम्बंधित आंकड़ों को अभिलेखीकृत करने हेतु	नियम-45, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् निर्माण नियम 1984
5	भण्डार निर्गम पंजिका	क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्यों/अन्य इकाईयों को भण्डार सामग्री के निर्गम सम्बंधी आंकड़ों को अभिलेखीकृत करने हेतु	नियम-47, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् निर्माण नियम 1984
6	मार्ग पंजिका	क्षेत्र पंचायत में निर्मित सड़कों के विवरण निर्माण वर्ष एवं स्थान/अनुरक्षण, लम्बाई एवं चौड़ाई आदि की सूचना को अभिलेखीकृत करने हेतु	नियम-4, उत्तर प्रदेश (जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत) (चल/अचल सम्पत्ति) मैनुअल 1965
7	विस्तृत प्राक्कलन पंजिका	तैयार किये गये प्राक्कलनों की संख्या सुनिश्चित करना व तैयार प्राक्कलन का विवरण अभिलेखीकृत करने हेतु	वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6, प्रस्तर-407
8	प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति पंजिका	प्राधिकारी द्वारा दिये गये प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति पर नियंत्रण रखने हेतु	वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 प्रस्तर-316 व 317
xke i pk; rka }kj k vuig f{kr u fd; s x; s vfhkys[ka dh l ph			
1	कार्य पंजिका	कार्यों की प्रगति तथा उस पर व्यय को सम्मिलित करते हुए कार्य का विवरण यथा प्राक्कलित लागत, वास्तविक लागत ठेकेदारों को उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये देयकों के क्रम में भुगतान पर नियंत्रण रखने हेतु	नियम-207, पंचायत राज मैनुअल
2	भण्डार पंजिका	ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त भण्डार सामग्री को अभिलेखीकृत करने हेतु	नियम-202, पंचायत राज मैनुअल

3	मस्टर रोल पंजिका	सम्पादित कार्य में लगाये गये श्रमिकों की उपस्थिति एवं भुगतान की गयी मजदूरी को अभिलेखीकृत करने हेतु	नियम-210, पंचायत राज मैनुअल
4	सम्पत्ति पंजिका	ग्राम पंचायत के स्वामित्व/प्रबंधन अधीन सम्पत्तियों का विवरण अभिलेखीकृत करने हेतु	नियम-136, पंचायत राज मैनुअल
5	प्राक्कलन पंजिका	स्वीकृत प्राक्कलनों का विवरण रखते हुए प्राक्कलन स्वीकृति पर नियंत्रण रखना	नियम-152, पंचायत राज मैनुअल
6	माप पुस्तिका	सम्पादित कार्यों का मापन तथा टेकेदारों को कृत भुगतानों का सारांश के साथ ही आपूर्ति सामग्री को अभिलेखीकृत करने हेतु	नियम-63, पंचायत राज मैनुअल
7	माप पुस्तिका निर्गम पंजिका	मापन हेतु माप पुस्तिकाओं के उपयोग पर नियंत्रण हेतु जिससे अवैध माप पुस्तिका का प्रयोग न किया जा सके	वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6, नियम 422
8	विस्तृत प्राक्कलन पंजिका	तैयार किये गये प्राक्कलनों की संख्या सुनिश्चित करना व तैयार प्राक्कलन का विवरण अभिलेखीकृत करने हेतु	वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6, प्रस्तर 407
9	निविदा/कोटेशन पत्रावली	संविदा आधारित कार्यों के सम्पादन व आपूर्ति हेतु निविदा/कोटेशन की प्रक्रिया को अभिलेखीकृत करने हेतु	नियम-360, वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6
10	प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति पंजिका	प्राधिकारी द्वारा दिये गये प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति पर नियंत्रण रखने हेतु	वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6, प्रस्तर-316 व 317
11	अनुदान पंजिका	योजनावार प्राप्त अनुदान, व्यय तथा अवशेष अनुदान का विवरण अभिलेखीकृत करने हेतु	ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल में किया गया प्राविधान

बुनियादी अभिलेखों के अनुरक्षण के अभाव में यह सत्यापित किया जाना सम्भव नहीं हो सका कि कार्य जिस पर व्यय भारित किया गया, वह वास्तव में सम्पादित किया गया, गुणवत्ता किया गया मानकों व मानदण्डों का तथा निर्धारित नियमों व प्रक्रियाओं का अनुपालन ऐसे व्यय का उपयुक्त अभिलेखों के अभाव में उच्चाधिकारियों, सरकार तथा लेखापरीक्षा द्वारा भी अनुश्रवण व समीक्षा करना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसी प्रणाली लोक निधि (पब्लिक फण्ड) के धोखाधड़ी, गबन, व्यावर्तन, दुर्विनियोजन तथा दुरुपयोग के गंभीर जोखिम से परिपूर्ण है।

अभिलेखों की कमी के कारण इस निष्पादन लेखापरीक्षा के क्षेत्र को सीमित किया गया। इसलिए, नमूना जाँच किये गये जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों द्वारा 2010-15 की अवधि में व्यय की गई धनराशि क्रमशः ₹ 225.07 करोड़, ₹ 23.09 करोड़ तथा ₹ 18.27 करोड़ का प्रमाणन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थाओं द्वारा बुनियादी अभिलेखों का अनुरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए।

2-1-8 क; Øe fØ; KJo; u

पंचायतों की परिकल्पित सेवाएं प्रदान करने के लिए, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 में उल्लिखित है कि जिला पंचायत प्रत्येक वर्ष क्षेत्र पंचायत की योजनाओं का समेकन कर एक योजना तैयार करेगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 यथा वर्ष 2007 में संशोधित में ग्राम पंचायत द्वारा वार्षिक कार्य योजना तैयार करने हेतु उल्लिखित है, जिसे क्षेत्र पंचायत द्वारा समेकित किया जाना था। योजना, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत के सदस्यों के प्रस्तावों को समेकित कर तैयार किया जाना था।

अग्रेतर, उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार (दिसम्बर 2010) अनुदानों का उपयोग पेयजल, सीवरेज, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबन्धन, मार्ग प्रकाश, सड़कों और अन्य नागरिक सुविधाओं आदि के अनुरक्षण एवं रख-रखाव पर किया जाना था। तेरहवें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्वच्छता सुविधाओं और पुरानी जलापूर्ति योजनाओं की पुनर्स्थापना एवं जलापूर्ति की नई परियोजनाओं का निष्पादन भी शामिल था। कार्य का निष्पादन उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद निर्माण नियमावली, 1984 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए किया जाना था। इन प्रावधानों में अपेक्षित था कि कार्यों का निष्पादन, वित्तीय और तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही किया जाना चाहिए। राज्य सरकार के निर्देशानुसार (सितम्बर 2008) ₹ 20,000 से अधिक एवं ₹ एक लाख से ऊपर के मदों/निर्माण सामग्रियों का क्रय क्रमशः कोटेशनों एवं निविदाएं आमंत्रित कर की जानी थी।

नमूना जांच किये गये जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा नीचे की गई है—

2-1-8-1 ftyk ipk; r vyhx<+

ueuk tkp fd; s x; s
ftyk ipk; rka us; k
rks vi uh; kstuk ugha
cuk; h; ; k vuifpr
rjhds l s cuk; hA {ks=
i pk; rka, oa xke
i pk; rka }kj k o"K
2010&15 dh vof/k ea
; kstuk ugha cuk; h x; h

- वर्ष 2010-13 के दौरान निष्पादित किये जाने वाले कार्यों के प्रस्तावों को कार्यवाही रजिस्टर जो जिला पंचायत की बैठकों के लिए अनुरक्षित किया जाना था, में अभिलिखित नहीं किया गया था। जिला पंचायत सदस्यों के प्रस्तावों के संकलन द्वारा योजना बनाने व राज्य सरकार (जून 2014) द्वारा योजना को स्वयं अध्यक्ष द्वारा बनाने सम्बन्धी विशिष्ट प्रतिबंध लगाये जाने के विपरीत जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2014-15 में वार्षिक कार्य योजना बनायी गयी।

- कार्यों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों का सीमांकन नहीं किया गया था जबकि राज्य सरकार के निर्देश (जनवरी 2005 एवं जून 2014) के अनुसार यह आवश्यक था। ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में जिला पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों का उदाहरण ifff'k"V 2-1-8 में दिया गया है।

- जिला पंचायत द्वारा तेरहवें वित्त आयोग के उपलब्ध अनुदान की लगभग समस्त धनराशि का उपयोग नये मार्गों के निर्माण कार्य पर किया गया था तथा बुनियादी आवश्यकताओं के मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों के प्राथमिक गतिविधियों, जिसके लिए तेरहवें वित्त आयोग अनुदान को उपलब्ध कराया गया था को नजरअंदाज किया गया। लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2010-15 के दौरान ₹ 20.80 करोड़ में से ₹ 18.57 करोड़ (89 प्रतिशत) का व्यय मुख्यतः 232 नये मार्गों के निर्माण कार्यों *ifff'k"V 2-1-9* पर किया गया था और मात्र ₹ 2.23 करोड़ (11 प्रतिशत) अनुरक्षण कार्यों पर व्यय किया गया था *ifff'k"V 2-1-10*।

- जिला पंचायत ने अनुबंध के आधार पर वर्ष 2010-15 की अवधि में 257 कार्य कराये थे जिनमें 71 कार्य विलंबित थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्यों को समय से पूर्ण करने हेतु कार्यों की स्तरवार प्रगति (स्टेज वाइज प्रोग्रेस) की निगरानी नहीं की गई थी और अनुबंध की शर्तों⁸ के अधीन अनुबंध को विलंब से पूर्ण करने के लिए ₹ 62.41 लाख कम जुर्माना (पेनाल्टी) लगाया गया था *ifff'k"V 2-1-11*।

⁸ उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद निर्माण कार्य नियमावली 1984 की धारा 2सी अनुबंध को विलंब से पूर्ण करने पर कार्य के प्राक्कलित लागत का एक प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अधिकतम 10 प्रतिशत तक का जुर्माना विहित करता है। तथापि, अपर मुख्य अधिकारी को जुर्माना कम करने का अधिकार है।

2-1-8-2 {ks= i p̄k; r pl̄nk̄] vk̄j [k̄j

- तेरहवें वित्त आयोग अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010–15 की अवधि में क्षेत्र पंचायत द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी।
- लेखापरीक्षा ने पाया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2012–15 की अवधि में ₹ 10.00 लाख से अधिक (कार्य की कुल लागत ₹ 121.24 लाख) के नौ कार्य श्रमिकों से कराया गया था और मस्टर रोल पर भुगतान किया गया था। तथापि, इन कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् निर्माण नियमावली 1984 के प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाना था जो कि प्राप्त नहीं किया गया था (i f f ' k " V 2-1-12½)

2-1-8-3 xke i p̄k; r ver̄i ḡ] pl̄nk̄]] xu s̄ ki ḡ] t [kk̄r̄k] eḡjkt̄i ḡ] vk̄xj uxyk jkth] jkfl̄ ni ḡ] xkjuk ¼{ks= i p̄k; r pl̄nk̄] ½ vk̄j xke i p̄k; r , nyi ḡ] Hkuk̄Syh] , p̄uk] dhjri ḡ] efkuk] iykpl̄n] vk̄j l kQk ¼{ks= i p̄k; r [k̄j ½

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010–15 की अवधि में इन ग्राम पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी। चूँकि क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी अतः जिला पंचायत पूरे जिले हेतु नीचे से उपर की पद्धति का अनुकरण करते हुए एक समेकित योजना तैयार करने में समर्थ नहीं थी।
- इन ग्राम पंचायतों द्वारा अनुदानों का उपयोग जलापूर्ति प्रणाली, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबन्धन, मार्ग प्रकाश एवं सड़कों के निर्माण, संचालन एवं अनुरक्षण पर किया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि इन सभी ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2010–15 की अवधि में ₹ 56.42 लाख *ii f f ' k " V 2-1-13½* के विभिन्न सामग्रियों का क्रय सीधे बाजार से बिना कोटेशन/निविदा आमंत्रण के किया था। बिना कोटेशन/निविदा आमंत्रण के विभिन्न सामग्रियों का क्रय किये जाने के कारण दर की युक्तियुक्तता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
- चयनित 14 में से उक्त 10 ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2010–15 के दौरान ₹ 12.56 लाख का व्यय अपने ग्राम पंचायतों में स्थापित हैण्डपम्पों के मरम्मत पर किया था *ii f f ' k " V 2-1-14½* परन्तु सम्बंधित अभिलेख यथा शिकायत पंजिका, भंडार (स्टाक) प्राप्ति/निर्गम पंजिका आदि का रख रखाव नहीं किये जाने के कारण लेखापरीक्षा में मरम्मत की आवश्यकता एवं वास्तविक मरम्मत का पता नहीं चल सका।
- पंचायती राज मैनुअल के प्रस्तर 152 के अनुसार ₹ 1,000 से अधिक की लागत के कार्यों के निष्पादन हेतु आगणन बनाया जाना आवश्यक है। नमूना जाँच किये गये ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2010–15 की अवधि में ₹ 1.15 करोड़ *ii f f ' k " V 2-1-15½* का व्यय ₹ 1,000 से अधिक लागत वाले विभिन्न कार्यों पर किया था किंतु मैनुअल के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए उनका आगणन नहीं बनाया गया था।

2-1-8-4 ftyk i p̄k; r cḡjkb̄p

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010–15 की अवधि में जिला पंचायत द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी।

- कार्यों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों का सीमांकन नहीं किया गया था जबकि राज्य सरकार के निर्देश (जनवरी 2005 एवं जून 2014) के अनुसार यह आवश्यक था। ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में जिला पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों का दृष्टान्त *ifj'k"V 2-1-8* में दिया गया है।

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 24.39 करोड़ में से ₹ 24.19 करोड़ (99 प्रतिशत) का व्यय 204 नये मार्गों के निर्माण कार्यों *ifj'k"V 2-1-9* पर किया गया था और मात्र ₹ 0.20 करोड़ (एक प्रतिशत) का व्यय निर्धारित अनुरक्षण के कार्यों पर किया गया था *ifj'k"V 2-1-10*।

- जिला पंचायत द्वारा अनुबंध के आधार पर वर्ष 2010-15 की अवधि में 207 कार्य कराये गये थे जिनमें आठ कार्य विलंबित थे। कार्यों की स्तरवार प्रगति की निगरानी नहीं की गई थी और अनुबंध की शर्तों⁹ के अधीन अनुबंध को विलंब से पूर्ण करने के बावजूद देय जुर्माना ₹ 11.27 लाख कम लगाया गया था *ifj'k"V 2-1-11*।

2-1-8-5 {ks= ipk; r gqtj ig] uokcxat vks] rstoki g

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010-15 की अवधि में इन क्षेत्र पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि क्षेत्र पंचायत तेजवापुर द्वारा वर्ष 2011-12 की अवधि में ₹ 10.00 लाख से अधिक (कार्य की कुल लागत ₹ 12.52 लाख) का एक कार्य कराया गया था परंतु राज्य सरकार से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी *ifj'k"V 2-1-12*।

- क्षेत्र पंचायत नवाबगंज में तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के लिए दो बैंक खाते लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं इलाहाबाद बैंक में खोले गये थे।

2-1-8-6 xke ipk; r vfygk] HkfVdq Mk] xksj; k] txrk tykyi g] ykdgj] fiifjgk eghiky fl g vks] fl g ig] {ks= ipk; r gqtj ig] } xke ipk; r cudgh] nojk] tykyi g] ek/koig funkuk] jghe uxj vks] fl l s k {ks= ipk; r uokcxat } , oa xke ipk; r cl k uk ekQh] prjk] tkCnh] yD[kk CkkVh] jkexko] rMok f'kLVhi g {ks= ipk; r rstoki g }

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010-15 की अवधि में इन ग्राम पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी। चूंकि क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी अतः जिला पंचायत पूरे जिला हेतु नीचे से उपर की पद्धति का अनुकरण करते हुए एक समेकित योजना तैयार करने में समर्थ नहीं थी।

- इन ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 131.22 लाख *ifj'k"V 2-1-13* के विभिन्न सामग्रियों का क्रय सीधे बाजार से बिना कोटेशन/

⁹ उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् निर्माण कार्य नियमावली 1984 की धारा 2सी अनुबंध को विलंब से पूर्ण करने पर कार्य के प्राक्कलित लागत में एक प्रतिशत की दर से अधिकतम 10 प्रतिशत तक का जुर्माना विहित करता है। तथापि, अपर मुख्य अधिकारी को जुर्माना कम करने का अधिकार है।

निविदा आमंत्रण के किया था। बिना कोटेशन/निविदा आमंत्रण के विभिन्न सामग्रियों का क्रय किये जाने के कारण दरों की युक्तियुक्तता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

- चयनित 19 में से 14 ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 9.67 लाख का व्यय अपने ग्राम पंचायत में स्थापित हैण्डपम्पों के मरम्मत पर किया था *॥i fff'k"V 2-1-14॥* परन्तु सम्बंधित अभिलेखों यथा शिकायत पंजिका, भंडार (स्टाक) प्राप्ति/निर्गम पंजिका आदि का रख रखाव नहीं किये जाने के कारण लेखापरीक्षा में मरम्मत की आवश्यकता एवं वास्तविक मरम्मत का पता नहीं चल सका।
- पंचायती राज मैनुअल के प्रस्तर 152 के अनुसार ₹ 1,000 से अधिक की लागत के कार्यों के निष्पादन हेतु आगणन बनाया जाना आवश्यक है। यद्यपि चयनित ग्राम पंचायत ने वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 1.68 करोड़ *॥i fff'k"V 2-1-15॥* का व्यय ₹ 1,000 से अधिक लागत वाले विभिन्न कार्यों पर किया था किंतु मैनुअल के प्रावधानों का उलंघन करते हुए उनका आगणन नहीं बनाया गया था।

2-1-8-7 ftyk ipk; r bVkok

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010-15 की अवधि में जिला पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी।
- कार्यों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों का सीमांकन नहीं किया गया था। ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में जिला पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों का दृष्टान्त *i fff'k"V 2-1-8* में दिया गया है।
- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान का उपयोग मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों के प्राथमिक गतिविधियों को नजरअंदाज करते हुए नये मार्ग निर्माण कार्यों पर किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 12.56 करोड़ में से ₹ 11.79 करोड़ (94 प्रतिशत) का व्यय 131 नये मार्गों के निर्माण कार्यों *॥i fff'k"V 2-1-9॥* पर किया गया था और सिर्फ ₹ 0.77 करोड़ (छह प्रतिशत) का व्यय निर्धारित रखरखाव के कार्यों पर किया गया था *॥i fff'k"V 2-1-10॥*

2-1-8-8 {ks= ipk; r c<ijk vkj Ekgok

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010-15 की अवधि में इन क्षेत्र पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी।
- लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2013-15 की अवधि में ₹ 10.00 लाख से अधिक (कार्य की कुल लागत ₹ 35.48 लाख) के तीन कार्य कराये गये थे परन्तु उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी *॥i fff'k"V 2-1-12॥*
- माप पुस्तिकाओं में मदों/सामग्रियों का मापन किये बिना आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया गया था।
- इन क्षेत्र पंचायतों ने 2013-15 की अवधि में कार्यों के लिए ₹ 31.32 लाख की सामग्रियों का क्रय बिना निविदा आमंत्रण के किया था जिसके कारण सामग्रियों के खरीद में पारदर्शिता, उद्धृत कीमतों के युक्तियुक्तता हेतु एवं निविदा में भाग लेने हेतु

सभी संभावित आपूर्तिकर्ताओं को समान एवं उचित अवसर को प्रदान करना सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

- इन क्षेत्र पंचायतों के खण्ड विकास अधिकारियों ने 2010-15 की अवधि में ₹ 12.66 लाख का व्यय क्षेत्र पंचायत महेवा के ग्राम करौधि में निजी नलकूप के नाली निर्माण और क्षेत्र पंचायत बढपुरा में निजी जमीन पर इण्टरलाकिंग रोड के निर्माण कार्य पर किया था। निजी जमीन पर निष्पादित कार्यों का फोटोग्राफ नीचे दिया गया है:



2-1-8-9 xke ipk; r vokjh] fcpigkj QOb] dkeB] ekfudig ekgu] ljk; Hkxr ¼{ks= ipk; r c<igk½ vkj xke ipk; r vgsjhi g] Hkj b7 g] nkb7 g] blxksh] dpuBk] eMuk dyk [kq] fuokM# dyk vkj ljk; bykgh ¼{ks= ipk; r egok½

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010-15 की अवधि में इन ग्राम पंचायत द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी। चूँकि क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी अतः जिला पंचायत पूरे जिले हेतु नीचे से ऊपर की पद्धति का अनुकरण करते हुए एक समेकित योजना तैयार करने में समर्थ नहीं था।

- इन सभी ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 159.57 लाख ¼ijf'k"V 2-1-13½ के विभिन्न सामग्रियों का क्रय सीधे बाजार से बिना कोटेशन/निविदा आमंत्रण के किया था। बिना कोटेशन/निविदा आमंत्रण के विभिन्न सामग्रियों का क्रय किये जाने के कारण दरों की युक्तियुक्तता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

- चयनित 14 में से 13 ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 36.45 लाख का व्यय अपने ग्राम पंचायत में स्थापित हैण्डपम्पों के मरम्मत पर किया था ¼ijf'k"V 2-1-14½ परन्तु सम्बंधित अभिलेखों यथा शिकायत पंजिका, भंडार प्राप्ति/निर्गम पंजिका आदि का रख रखाव नहीं किये जाने के कारण लेखापरीक्षा में मरम्मत की आवश्यकता एवं वास्तविक मरम्मत का पता नहीं चल सका।

- पंचायती राज मैनुअल के प्रस्तर 152 के अनुसार ₹ 1,000 से अधिक की लागत के कार्यों के निष्पादन हेतु आगणन बनाया जाना आवश्यक है। तथापि चयनित ग्राम

पंचायतों ने वर्ष 2010–15 की अवधि में ₹ 1.80 करोड़ *॥i fff'k"V 2-1-15॥* का व्यय ₹ 1,000 से अधिक लागत वाले विभिन्न कार्यों पर किया था किन्तु मैनुअल के प्रावधानों का उलंघन करते हुए उनका आगणन नहीं बनाया गया था।

2-1-8-10 ftyk iṑk; r fQjktkckn

- तेरहवें वित्त आयोग अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010–15 की अवधि में जिला पंचायत द्वारा वार्षिक कार्ययोजना नहीं बनायी गयी थी।
- राज्य सरकार के निर्देश (जनवरी 2005 एवं जून 2014) के अनुसार कार्यों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों का सीमांकन नहीं किया गया था। ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में जिला पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों का उदाहरण *i fff'k"V 2-1-8* में दिया गया है।
- मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों के प्राथमिक गतिविधियों को नजरअंदाज करके नये मार्ग निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी गई थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2010–15 की अवधि में ₹ 15.95 करोड़ में से ₹ 15.44 करोड़ (97 प्रतिशत) का व्यय 261 नये मार्गों के निर्माण कार्यों *॥i fff'k"V 2-1-9॥* पर किया गया था और सिर्फ ₹. 0.51 करोड़ (तीन प्रतिशत) का व्यय रख-रखाव के कार्यों पर किया गया था *॥i fff'k"V 2-1-10॥*

2-1-8-11 {ks= iṑk; r VqMyk vkṣ} gkFkollr

- तेरहवें वित्त आयोग अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010–15 की अवधि में इन क्षेत्र पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी।

2-1-8-12 xke iṑk; r cl b] ,yb] gtjriḡ] ekḡEenckn] igkMhiḡ HkksMyk ,oa ljk; ujjegy ¼{ks= iṑk; r VqMyk½ vkṣ} xke iṑk; r cyhiḡ rkl; k] fcYVhx<} bVgkj] dkj b] jgn] vkMeiḡ vkṣ} l kFkh ¼{ks= iṑk; r gkFkollr½

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010–15 की अवधि में इन ग्राम पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी। चूंकि क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी, जिला पंचायत पूरे जिले हेतु नीचे से ऊपर की पद्धति का अनुकरण करते हुए एक समेकित योजना तैयार करने में समर्थ नहीं था।
- पंचायती राज मैनुअल के प्रस्तर 152 के अनुसार ₹ 1,000 से अधिक की लागत के कार्यों के निष्पादन हेतु आगणन बनाया जाना आवश्यक है। तथापि नमूना जाँच हेतु चयनित ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2010–15 की अवधि में ₹ 1.23 करोड़ *॥i fff'k"V 2-1-15॥* का व्यय ₹ 1,000 से अधिक लागत वाले विभिन्न कार्यों पर किया था किन्तु मैनुअल के प्रावधानों का उलंघन करते हुए उनका आगणन नहीं बनाया गया था।

2-1-8-13 ftyk iṑk; r xkṣrecḡ) uxj

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010–15 की अवधि में जिला पंचायत द्वारा वार्षिक कार्ययोजना नहीं बनायी गयी थी।

- कार्यों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों का सीमांकन नहीं किया गया था। ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में जिला पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों का उदाहरण i f j f ' k " V 2-1-8 में दिया गया है।
- वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 4.37 करोड़ में से ₹ 4.35 करोड़ (99.55 प्रतिशत) का व्यय 114 नये मार्गों के निर्माण कार्यों पर i f j f ' k " V 2-1-9 और मात्र ₹ 0.02 करोड़ (0.45 प्रतिशत) मरम्मत कार्यों पर i f j f ' k " V 2-1-10 व्यय किया गया था। इस प्रकार सृजित परिसंपत्तियों के अनुरक्षण और रख-रखाव की उपेक्षा की गई थी।
- जिला पंचायत द्वारा अनुबंध के आधार पर वर्ष 2010-15 की अवधि में 114 कार्यों को कराया गया था जिनमें 11 कार्य विलंबित थे। कार्यों की स्तरवार प्रगति की निगरानी नहीं की गई थी और अनुबंध को विलंब से पूर्ण करने के लिए जो अर्थदण्ड देय था वह ₹ 10.79 लाख i f j f ' k " V 2-1-11 कम लगाया गया था।

2-1-8-14 {ks= i p k; r f c l j [k

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010-15 की अवधि में क्षेत्र पंचायत द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी।
- लेखापरीक्षा ने पाया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2013-14 में ₹ 10.00 लाख से अधिक (कार्य की कुल लागत ₹ 12.46 लाख) का एक कार्य कराया गया था किन्तु इस कार्य के लिए राज्य सरकार से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाना था जो कि प्राप्त नहीं किया गया था i f j f ' k " V 2-1-12
- माप पुस्तिका में मदों/सामग्रियों के मापन का अंकन किये बिना आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया गया था।

2-1-8-15 xke i p k; r cknyig] fpi; kuk [kq] fxj/kjig l qkj l h ddjkyk [kkl ig] eekj k] jkstk tykyig , oa l qrkui g

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010-15 की अवधि में इन ग्राम पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी। चूंकि क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी, जिला पंचायत पूरे जिला हेतु नीचे से ऊपर की पद्धति का अनुकरण करते हुए एक समेकित योजना तैयार करने में समर्थ नहीं थी।
- चयनित सात में से पांच ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 9.94 लाख (i f j f ' k " V 2-1-13 के विभिन्न सामग्रियों का क्रय सीधे बाजार से बिना कोटेशन/निविदा आमंत्रण के किया था। बिना कोटेशन/निविदा आमंत्रण के विभिन्न सामग्रियों का क्रय किये जाने के कारण दरों की युक्तियुक्तता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। अग्रेतर, ग्राम पंचायत चिपियाना खुर्द एवं गिरधरपुर सुनारसी ने अपने अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया।
- चयनित सात में से उक्त चार ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 1.66 लाख का व्यय अपने ग्राम पंचायत में स्थापित हैण्डपम्पों के मरम्मत पर किया

था *॥i fff'k"V 2-1-14॥* परन्तु सम्बंधित अभिलेखों यथा शिकायत पंजिका, भंडार (स्टाक) प्राप्ति/निर्गम पंजिका आदि का रख रखाव नहीं किये जाने के कारण लेखापरीक्षा में मरम्मत की आवश्यकता एवं वास्तविक मरम्मत का पता नहीं चल सका।

- पंचायती राज मैनुअल के प्रस्तर 152 के अनुसार ₹ 1,000 से अधिक की लागत के कार्यों के निष्पादन हेतु आगणन बनाया जाना आवश्यक है। तथापि नमूना जाँच हेतु चयनित ग्राम पंचायत ने वर्ष 2010–15 की अवधि में ₹ 0.19 करोड़ *॥i fff'k"V 2-1-15॥* का व्यय ₹ 1,000 से अधिक लागत वाले विभिन्न कार्यों पर किया था किंतु मैनुअल के प्रावधानों का उलंघन करते हुए उनका आगणन नहीं बनाया गया था।

2-1-8-16 ftyk ipk; r xkthij

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010–15 की अवधि में जिला पंचायत द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी।
- कार्यों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों का सीमांकन नहीं किया गया था। ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में जिला पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों का उदाहरण *i fff'k"V 2-1-8* में दिया गया है।
- जिला पंचायत ने उपलब्ध लगभग समस्त धनराशि को नये मार्ग निर्माण कार्य पर व्यय कर दिया था तथा मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्यों के प्राथमिक गतिविधियों को नजरअंदाज किया था। वर्ष 2010–15 की अवधि में ₹ 30.45 करोड़ में से ₹ 28.71 करोड़ (94 प्रतिशत) का व्यय 464 नये मार्गों के निर्माण कार्यों *॥i fff'k"V 2-1-9॥* पर किया गया था और मात्र ₹ 1.74 करोड़ (छ: प्रतिशत) का व्यय निर्धारित अनुरक्षण के कार्यों पर किया गया था *॥i fff'k"V 2-1-10॥*
- जिला पंचायत द्वारा अनुबंध के आधार पर वर्ष 2010–15 की अवधि में 485 कार्य कराये गये थे जिनमें आठ कार्य विलंबित थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्यों को समय से पूर्ण करने हेतु कार्यों की स्तरवार प्रगति की निगरानी नहीं की गई थी और अनुबंध की शर्तों के अधीन अनुबंध को विलंब से पूर्ण करने के बावजूद ₹ 12.96 लाख कम अर्थदण्ड लगाया गया था *॥i fff'k"V 2-1-11॥*

2-1-8-17 {ks= ipk; r t [kfu; k] ej ng , oa ckj kpoj

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010–15 की अवधि में इन क्षेत्र पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी।
- लेखापरीक्षा ने पाया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2011–15 की अवधि में ₹ 10.00 लाख से अधिक के पांच कार्यों (कार्यों की कुल लागत ₹ 77.59 लाख) को श्रमिकों से कराया गया था तथा उनको मस्टर रोल पर भुगतान किया गया था। तथापि राज्य सरकार से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं किया गया था *॥i fff'k"V 2-1-12॥*
- माप पुस्तिका में मदों/सामग्रियों के मापन का अंकन किये बिना आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया गया था।
- इन क्षेत्र पंचायतों ने वर्ष 2011–15 की अवधि में कार्यों के लिए ₹ 75.56 लाख लागत की सामग्रियों का क्रय बिना निविदा के किया। जिसके कारण सामग्रियों के

खरीद में पारदर्शिता एवं उद्धृत कीमतों के युक्तियुक्तता हेतु स्पर्धा/तुलनात्मकता एवं निविदा में भाग लेने हेतु सभी संभावित आपूर्तिकर्ताओं को समान एवं उचित अवसर को प्रदान करना सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

- क्षेत्र पंचायत मरदह ने खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के परिसर में दो द्वारों के निर्माण के कार्यों पर ₹ 3.87 लाख का व्यय किया था। तथापि यह कार्य तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के अधीन अनुमन्य नहीं था तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान से निर्मित द्वारों की तस्वीर नीचे दी गयी हैं।



क्षेत्र पंचायत मरदह, गाजीपुर के खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय परिसर में निर्मित दो द्वार

2-1-8-18 xke iapk; r% veokod'kh] nkeknjig] xknl b; k] tkjig] [kpkD'ki g] ehjig rhjog] ikuhd'kk mQZ dfrfl xig] ,oa ljk; /kus'k %ks= iapk; r t[kfu; k%] xke iapk; r cgrjk] chjcyig] djng d'fkojh] ?kfj; k] ul h: nnhuig] ,oa : ghi g] %ks= iapk; r ejng%] ,oa xke iapk; r vegV] cuhi g] ngln] gVoj n; ky fl g] [kMgMk] U; w mQZ ÅpkMhg] ,oa ihgyh %ks= iapk; r ckjkpoj%

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010-15 की अवधि में इन ग्राम पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी। चूँकि क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी। अतः जिला पंचायत पूरे जिले हेतु नीचे से उपर की पद्धति का अनुकरण करते हुए एक समेकित योजना तैयार करने में समर्थ नहीं थी।

- चयनित सभी ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 156.15 लाख %i fff'k"V 2-1-13% के विभिन्न सामग्रियों का क्रय सीधे बाजार से बिना कोटेशन/निविदा आमंत्रण के किया था। बिना कोटेशन/निविदा आमंत्रण के विभिन्न सामग्रियों का क्रय किये जाने के कारण दर की युक्तियुक्तता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

- चयनित 21 में से उक्त 17 ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 10.89 लाख का व्यय अपने ग्राम पंचायत में स्थापित हैण्डपम्पों के मरम्मत पर किया था (i fff'k"V 2-1-14% परन्तु सम्बंधित अभिलेखों यथा शिकायत पंजिका, भंडार (स्टाक) प्राप्ति/निर्गम पंजिका आदि का रख-रखाव नहीं किये जाने के कारण लेखापरीक्षा में मरम्मत की आवश्यकता एवं वास्तविक मरम्मत का पता नहीं चल सका।

- पंचायती राज मैनुअल के प्रस्तर 152 के अनुसार ₹ 1,000 से अधिक की लागत के कार्यों के निष्पादन हेतु आगणन बनाया जाना आवश्यक है। तथापि नमूना जाँच हेतु चयनित ग्राम पंचायत ने वर्ष 2010–15 की अवधि में ₹ 1.97 करोड़ का व्यय ₹ 1,000 से अधिक लागत वाले विभिन्न कार्यों पर किया था किंतु मैनुअल के प्रावधानों का उलंघन करते हुए उनका आगणन नहीं बनाया गया था।

2-1-8-19

- जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2010–15 की अवधि में तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी।
- कार्यों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों का सीमांकन नहीं किया गया था जबकि राज्य सरकार के निर्देश (जनवरी 2005 एवं जून 2014) के अनुसार यह आवश्यक था। ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में जिला पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों का उदाहरण के लिए दिया गया है।
- जिला पंचायत ने उपलब्ध लगभग समस्त धनराशि को नये मार्ग निर्माण कार्य पर व्यय कर दिया था तथा मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्यों के प्राथमिक गतिविधियों को नजरअंदाज किया था। वर्ष 2010–15 की अवधि में ₹ 29.65 करोड़ में से ₹ 29.24 करोड़ (98.62 प्रतिशत) का व्यय 346 नये मार्गों के निर्माण कार्यों पर किया गया था और मात्र ₹ 0.41 करोड़ (1.38 प्रतिशत) का व्यय अनुरक्षण के कार्यों पर किया गया था।
- जिला पंचायत ने अनुबंध के आधार पर वर्ष 2010–15 के दौरान 348 कार्य कराये थे जिनमें छः कार्य विलंबित थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्यों को समय से पूर्ण करने हेतु कार्यों की स्तरवार प्रगति की निगरानी नहीं की गई थी और अनुबंध की शर्तों के अधीन अनुबंध को विलंब से पूर्ण करने के लिए देय अर्थदण्ड ₹ 33.78 लाख कम लगाया गया था।

2-1-8-20

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010–15 की अवधि में इन क्षेत्र पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी।
- लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2011–15 की अवधि में ₹ 10 लाख से अधिक के दो कार्यों (कार्यों की कुल लागत ₹ 37.39 लाख) को कराया गया था किन्तु इन कार्यों के लिए राज्य सरकार से जो तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाना था उसे प्राप्त नहीं किया गया था।
- माप पुस्तिका में मदों/सामग्रियों के मापन का अंकन किये बिना आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया गया था।
- इन क्षेत्र पंचायतों ने वर्ष 2012–14 की अवधि में कार्यों के लिए ₹ 22.47 लाख लागत की सामग्रियों का क्रय बिना निविदा के किया गया। जिसके कारण सामग्रियों के खरीद में पारदर्शिता एवं दरों की युक्तियुक्तता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
- क्षेत्र पंचायत बेलसर ने ₹ 1.37 लाख की लागत से खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय परिसर में विभिन्न कार्यों यथा शौचालय, कार्यालय परिसर में सतह का

समतलीकरण, पेड़ों के चारों तरफ चबूतरा, सेप्टिक टैंक एवं नलकूप का बोरिंग कराया था। यद्यपि उक्त कार्य तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के अधीन नहीं कराया जा सकता था।

- क्षेत्र पंचायत कटरा बाजार ने ₹ 11.11 लाख की लागत से खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय परिसर में अमान्य कार्यो यथा आवासीय भवन, पशु चिकित्सालय की पुताई/मरम्मत, सहायक विकास अधिकारी के आवास एवं बीज भण्डार के बीच में सीमेन्ट कंक्रीट सड़क, क्षेत्र पंचायत के पूरब की ओर की चहारदीवारी एवं द्वार का मरम्मत कार्य कराया गया था।

2-1-8-21 xke iapk; r% cjbz xkngk] pjgk] xk]ok dyk] dksV; k enjk] unok] jk; ig Qdhj] frydk%{ks= iapk; r dVjk cktkj%] xke iapk; r vHkbz]g] HkKj hXat] Mkekdyih] dM+] e/kbz]g [k. Mj k;] ijli]g] ljs ka pkcs %{ks= iapk; r ijli]g] ,oa xke iapk; r vyhi]l ksyh] fpjcl uk] gj [kki]g] ejxici]g] fl /kks/h %{ks= iapk; r csl j%]

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010-15 की अवधि में इन ग्राम पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी। चूँकि क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनाया गया था अतः जिला पंचायत पूरे जिले हेतु नीचे से उपर की पद्धति का अनुकरण करते हुए एक समेकित योजना तैयार करने में समर्थ नहीं था।

- चयनित सभी ग्राम पंचायतों ने अनुदानों का उपयोग जल आपूर्ति व्यवस्था के निर्माण, संचालन एवं अनुरक्षण, साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन, मार्ग प्रकाश, और मार्गों के निर्माण एवं मरम्मत पर किया था। यद्यपि लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 168.27 लाख *ii fff'k"V 2-1-13%* के विभिन्न सामग्रियों का क्रय सीधे बाजार से बिना कोटेशन/निविदा आमंत्रण के किया था। बिना कोटेशन/निविदा आमंत्रण के विभिन्न सामग्रियों का क्रय किये जाने के कारण दर के युक्तियुक्तता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

- चयनित 19 में से 13 ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 9.20 लाख का व्यय अपने ग्राम पंचायत में स्थापित हैण्डपम्पों के मरम्मत पर किया था *ii fff'k"V 2-1-14%* परन्तु सम्बंधित अभिलेखों यथा शिकायत पंजिका, भंडार प्राप्ति/निर्गम पंजिका आदि का रख रखाव नहीं किये जाने के कारण लेखापरीक्षा में मरम्मत की आवश्यकता एवं वास्तविक मरम्मत का पता नहीं चल सका।

- पंचायती राज मैनुअल के प्रस्तर 152 के अनुसार ₹ 1,000 से अधिक की लागत के कार्यो के निष्पादन हेतु आगणन बनाया जाना आवश्यक है। यद्यपि, चयनित ग्राम पंचायत ने वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 2.18 करोड़ *ii fff'k"V 2-1-15%* का व्यय ₹ 1,000 से अधिक की लागत वाले विभिन्न कार्यो पर किया था किंतु मैनुअल के प्रावधानों का उलंघन करते हुए उनका आगणन नहीं बनाया गया था।

2-1-8-22 ftyk iapk; r yfyri]g

- जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2010-15 की अवधि में तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वार्षिक कार्य योजना तो बनायी गयी थी किंतु विशिष्ट कार्यो का विवरण कार्यो के वास्तविक स्थान को दर्शाते हुए जहां कार्य कराया जाना था, का

उल्लेख योजना में नहीं किया गया था। जिला पंचायत सदस्यों के प्रस्तावों के संकलन के द्वारा योजना बनाने, राज्य सरकार (जून 2014) द्वारा योजना को स्वयं अध्यक्ष द्वारा बनाने पर विशिष्ट प्रतिबंध लगाये जाने के बावजूद, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2014-15 में वार्षिक कार्य योजना स्वयं बनायी गयी थी।

- कार्यों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों का सीमांकन नहीं किया गया था जबकि राज्य सरकार के निर्देश (जनवरी 2005 एवं जून 2014) के अनुसार यह आवश्यक था। ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में जिला पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों का उदाहरण *ifff'k"V 2-1-8* में दिया गया है।

- जिला पंचायत ने उपलब्ध लगभग समस्त धनराशि को नये मार्ग निर्माण कार्यों पर व्यय कर दिया था तथा मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों के प्राथमिक गतिविधियों को नजरअंदाज किया था। वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 7.51 करोड़ में से ₹ 7.51 करोड़ (100 प्रतिशत) का व्यय 94 नये मार्गों के निर्माण कार्यों *ifff'k"V 2-1-9* पर किया गया था और मरम्मत कार्यों पर कोई भी धनराशि व्यय नहीं की गयी थी। *ifff'k"V 2-1-10*।

- जिला पंचायत ने अनुबंध के आधार पर वर्ष 2010-15 की अवधि में 94 कार्य कराये थे जिनमें 24 कार्य विलंबित थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्यों को समय से पूर्ण करने हेतु कार्यों की स्तरवार प्रगति की निगरानी नहीं की गई थी और अनुबंध की शर्तों के अधीन अनुबंध को विलंब से पूर्ण करने के लिए ₹ 26.62 लाख कम अर्थदण्ड लगाया गया था *ifff'k"V 2-1-11*।

2-1-8-23 {ks= i pk; r t [kk] k

- क्षेत्र पंचायत की वार्षिक कार्ययोजना का प्रारम्भ योजना एवं विकास समिति के माध्यम से नहीं कराया गया था।

2-1-8-24 xke i pk; r vMokgk] c]pk] xkj] [kMj] e]okj] ikpk]uh ,o fl yxu

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010-15 की अवधि में इन ग्राम पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी। चूंकि क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी अतः जिला पंचायत पूरे जिले हेतु नीचे से ऊपर की पद्धति का अनुकरण करते हुए एक समेकित योजना तैयार करने में समर्थ नहीं थी।

- चयनित सात में से चार ग्राम पंचायतों ने अनुदानों का उपयोग जल आपूर्ति व्यवस्था के निर्माण, संचालन एवं अनुरक्षण, साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन, मार्ग प्रकाश, और मार्गों के निर्माण एवं मरम्मत पर किया था। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने पाया कि इन सभी ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 9.84 लाख *ifff'k"V 2-1-13* के विभिन्न सामग्रियों का क्रय सीधे बाजार से बिना किसी कोटेशन/निविदा आमंत्रण के किया था। बिना कोटेशन/निविदा आमंत्रण के विभिन्न सामग्रियों का क्रय किये जाने के कारण दर की युक्तियुक्तता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

- चयनित सात में से छः ग्राम पंचायतों *ifff'k"V 2-1-14* ने वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 9.20 लाख का व्यय अपने ग्राम पंचायतों में स्थापित हैण्डपम्पों के मरम्मत

पर किया था परन्तु सम्बंधित अभिलेखों यथा शिकायत पंजिका, भंडार प्राप्ति/निर्गम पंजिका आदि का रख रखाव नहीं किये जाने के कारण लेखापरीक्षा में मरम्मत की आवश्यकता एवं वास्तविक मरम्मत का पता नहीं चल सका।

- पंचायती राज मैनुअल के प्रस्तर 152 के अनुसार ₹ 1,000 से अधिक की लागत के कार्यों के निष्पादन हेतु आगणन बनाया जाना आवश्यक है। यद्यपि, चयनित ग्राम पंचायत ने वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 0.59 करोड़ *₹ 0.59 करोड़* का व्यय ₹ 1,000 से अधिक लागत वाले विभिन्न कार्यों पर किया था किंतु मैनुअल के प्रावधानों का उलंघन करते हुए उनका आगणन नहीं बनाया गया था।

2-1-8-25 *ftyk i p k ; r y [ku Å*

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010-15 की अवधि में जिला पंचायत द्वारा वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की गयी थी।

- कार्यों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों का सीमांकन नहीं किया गया था जबकि राज्य सरकार के निर्देश (जनवरी 2005 एवं जून 2014) के अनुसार यह आवश्यक था। ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में जिला पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों का उदाहरण *i f j f ' k " V 2-1-8* में दिया गया है।

- जिला पंचायत ने उपलब्ध लगभग समस्त धनराशि को नये मार्ग निर्माण कार्यों पर व्यय कर दिया था तथा मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्यों के प्राथमिक गतिविधियों को नजरअंदाज किया था। वर्ष 2010-15 की अवधि में उपलब्ध धनराशि ₹ 14.23 करोड़ में से ₹ 13.87 करोड़ की धनराशि (97.47 प्रतिशत) 156 नई सड़क निर्माण कार्यों पर *₹ 13.87 करोड़* और केवल ₹ 0.36 करोड़ (2.53 प्रतिशत) अनुरक्षण कार्यों पर *₹ 0.36 करोड़* व्यय किया गया था।

- जिला पंचायत ने अनुबंध के आधार पर वर्ष 2010-15 की अवधि में 159 कार्य कराये थे जिनमें दो कार्य विलंबित थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्यों को समय से पूर्ण करने हेतु कार्यों की स्तरवार प्रगति की निगरानी नहीं की गई थी और अनुबंध की शर्तों के अधीन अनुबंध को विलम्ब से पूर्ण करने के लिए देय अर्थदण्ड ₹ 1.40 लाख कम लगाया गया था *₹ 1.40 लाख*।

2-1-8-26 *{ks= i p k ; r c [' kh dk rkykc , oa eyhgkckn*

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010-15 की अवधि में इन क्षेत्र पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी।

- क्षेत्र पंचायत बख्शी का तालाब ने 2011-15 की अवधि में ₹ 59.34 लाख के कार्यों को बिना योजना के कराया। इसमें खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में अतिरिक्त कमरे का निर्माण जो अनुमन्य कार्य नहीं था, पर ₹ 4.96 लाख व्यय किया गया।

2-1-8-27 xke ipk; r v/kkj [kMk] cxgk] Hkfj xguk] nq/kj] tykyig] enkjhi g] eqkfi ijh] jktksyh , oa l kuok ¼{ks= ipk; r c ['kh dk rkykc½ rFkk xke ipk; r vYyig] nrkyh] gfejki g] [kMk] ehBs uxj , oa l kfgykeÅ

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010–15 की अवधि में इन ग्राम पंचायत द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी।
- नमूना जांच किये गये ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2010–15 की अवधि में ₹ 118.34 लाख *¼i fff'k"V 2-1-13½* के विभिन्न सामग्रियों का क्रय सीधे बाजार से बिना कोटेशन/निविदा आमंत्रण के किया था। बिना कोटेशन/निविदा आमंत्रण के विभिन्न सामग्रियों का क्रय किये जाने के कारण दर की युक्तियुक्तता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
- चयनित 15 में से 12 ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2010–15 के दौरान ₹ 13.91 लाख का व्यय अपने ग्राम पंचायत में स्थापित हैण्डपम्पों के मरम्मत पर किया था *¼i fff'k"V 2-1-14½* परन्तु सम्बंधित अभिलेखों यथा शिकायत पंजिका, भंडार (स्टाक) प्राप्ति/निर्गम पंजिका आदि का रख-रखाव नहीं किये जाने के कारण लेखापरीक्षा में मरम्मत की आवश्यकता एवं वास्तविक मरम्मत का पता नहीं चल सका।
- पंचायती राज मैनुअल के प्रस्तर 152 के अनुसार ₹ 1,000 से अधिक की लागत के कार्यों के निष्पादन हेतु आगणन बनाया जाना आवश्यक है। चयनित ग्राम पंचायत ने वर्ष 2010–15 की अवधि में ₹ 1.47 करोड़ *¼i fff'k"V 2-1-15½* का व्यय ₹ 1,000 से अधिक लागत वाले विभिन्न कार्यों पर किया था किंतु मैनुअल के प्रावधानों का उलंघन करते हुए उनका आगणन नहीं बनाया गया था।

2-1-8-28 ftyk ipk; r eÅ

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010–15 की अवधि में जिला पंचायत द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी।
- कार्यों का सीमांकन जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर नहीं किया गया था। जिला पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायतों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्पादित कार्यों का उदाहरण *i fff'k"V 2-1-8* में दिया गया है।
- जिला पंचायत ने उपलब्ध अधिकांश धनराशि को नये मार्ग निर्माण पर व्यय किया था और अनुरक्षण एवं मरम्मत की प्राथमिक गतिविधियों को नजरअंदाज किया था। वर्ष 2010–15 की अवधि में ₹ 15.77 करोड़ में से ₹ 11.80 करोड़ (74.83 प्रतिशत) का व्यय 119 नये सड़क निर्माण कार्यों पर *¼i fff'k"V 2-1-9½* और केवल ₹ 3.97 करोड़ (25.17 प्रतिशत) रख रखाव कार्यों पर व्यय किया गया था *¼i fff'k"V 2-1-10½*।
- जिला पंचायत ने अनुबंध के आधार पर वर्ष 2010–15 की अवधि में 160 निर्माण कार्यों को कराया था जिनमें पांच कार्य विलंबित थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्यों को समय से पूर्ण करने हेतु कार्यों की स्तरवार प्रगति की निगरानी नहीं की गई थी और अनुबंध की शर्तों के अधीन अनुबंध को विलंब से पूर्ण करने के लिए देय अर्थदण्ड ₹ 14.79 लाख कम लगाया गया था (*i fff'k"V 2-1-11½*)।

2-1-8-29 {ks= iṑk; r nkgjh ?kkV vkṣ ijngk

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010-15 की अवधि में इन क्षेत्र पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी।
- क्षेत्र पंचायत दोहरी घाट ने वर्ष 2011-15 की अवधि में ₹ 76.44 लाख का समस्त व्यय मार्ग प्रकाश पर अन्य मूलभूत सुविधाओं हेतु व्यय के प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए किया था।

2-1-8-30 xke iṑk; r cgjkeiḡ] cṙkkoj] xykyṣh dykḡ dknhiḡ] dgṙtk] ij'kjkeiḡ] ujgjiḡ , oa l jQkṣk ¼{ks= iṑk; r nkgjh?kkV½] xke iṑk; r vMhfnḡ] chchiḡ [kḡkekṣ] ijngk , oa l j ou¼{ks= iṑk; r ijngk½

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010-15 की अवधि में इन ग्राम पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी। चूँकि क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी अतः जिला पंचायत पूरे जिला हेतु नीचे से उपर की पद्धति का अनुकरण करते हुए एक समेकित योजना तैयार करने में समर्थ नहीं थी।
- चयनित 12 में से आठ ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 21.96 लाख का व्यय अपने ग्राम पंचायत में स्थापित हैण्डपम्पों के मरम्मत पर किया था ¼i f j f ' k " V 2-1-14½ परन्तु सम्बंधित अभिलेखों यथा शिकायत पंजिका, भंडार प्राप्ति/निर्गम पंजिका आदि का रख रखाव नहीं किये जाने के कारण लेखापरीक्षा में मरम्मत की आवश्यकता एवं वास्तविक मरम्मत का पता नहीं चल सका।
- पंचायती राज मैनुअल के प्रस्तर 152 के अनुसार ₹ 1,000 से अधिक की लागत के कार्यों के निष्पादन हेतु आगणन बनाया जाना आवश्यक है। यद्यपि, नमूना जाँच हेतु चयनित ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 1.49 करोड़ ¼i f j f ' k " V 2-1-15½ का व्यय ₹ 1,000 से अधिक लागत वाले विभिन्न कार्यों पर किया था किंतु मैनुअल के प्रावधानों का उलंघन करते हुए उनका आगणन नहीं बनाया गया था।

2-1-8-31 ftyk iṑk; r l hrkiḡ

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010-12 की अवधि में जिला पंचायत द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी। जिला पंचायत ने जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ स्तर से स्वीकृत कार्यों की सूची से कार्यों को चुन कर संपादित किया था। वर्ष 2014-15 की योजना मई 2015 तक तैयार नहीं की गयी थी। वर्ष 2014-15 की योजना राज्य सरकार (जून 2014) के विशिष्ट प्रतिबंध के बावजूद, जिला पंचायत के सदस्यों के प्रस्ताव के आधार पर तैयार न कर जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा स्वयं योजना तैयार की गयी। इसके अतिरिक्त जिला पंचायत के अनुमोदन के बिना विभिन्न कार्य सम्पादित किए गए थे।
- कार्यों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों का सीमांकन नहीं किया गया था जबकि राज्य सरकार के निर्देश (जनवरी 2005 एवं जून 2014) के अनुसार यह आवश्यक था। ग्राम पंचायतों के

अधिकार क्षेत्र में जिला पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों का उदाहरण *ifff'k"V 2-1-8* में दिया गया है।

- जिला पंचायत ने उपलब्ध लगभग समस्त धनराशि को नये मार्ग निर्माण कार्यों पर व्यय कर दिया था तथा मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्यों के प्राथमिक गतिविधियों को नजरअंदाज किया था। 2010–15 की अवधि में उपलब्ध धनराशि ₹ 31.07 करोड़ में से ₹ 31.02 करोड़ की धनराशि (99.84 प्रतिशत) 405 नई सड़क निर्माण कार्यों पर *ifff'k"V 2-1-9* और केवल ₹ 0.05 करोड़ (0.16 प्रतिशत) रख रखाव कार्यों पर *ifff'k"V 2-1-10* व्यय किया गया था।

2-1-8-32 {ks= iꣳk; r fcl ok} igyk ygjig ,oa l dju

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010–15 की अवधि में इन क्षेत्र पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी।
- सीतापुर की क्षेत्र पंचायत लहरपुर द्वारा वर्ष 2011–15 की अवधि में ₹ 66.26 लाख के 12 कार्यों को क्षेत्र पंचायत बैठक में चर्चा एवं अनुमोदन के बिना सम्पादित किया गया।
- लेखापरीक्षा ने पाया कि 2010–15 की अवधि में ₹ 10.00 लाख से अधिक के (कार्यों की कुल लागत ₹ 200.99 लाख) 13 कार्यों को श्रमिकों को लगाते हुए सम्पादित किया गया था एवं भुगतान मस्टर रोले के माध्यम से किया गया था। यद्यपि, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् निर्माण नियमावली, 1984 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकार से प्राप्त की जाने वाली आवश्यक तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी *ifff'k"V 2-1-12*।

2-1-8-33 xke iꣳk; r vEcgjig] cyokcgknjig] fcl sMh] gl uig] dUnqih] yk/kkj] ekbtqnhig] igSuk ,oa l j\$ ka fetkig] ¼{ks= iꣳk; r fcl ok} xke iꣳk; r ctgjk] HkjFkj] fQjktig] dUnk\$ k] yk/kkj] k jktk l kgc] ify; k ,oa l j\$ ka dknhig] ¼{ks= iꣳk; r igyk} xke iꣳk; r vdcjig] nfj; kig] djL; k\$ k edui] iVokjk ,oa 'kjig] ¼{ks= iꣳk; r ygjig} xke iꣳk; r vnokjh fpfYg; k] [kEgfj; k egfj; k] eMkj] iVuh ,oa l j\$ ka dyk ¼{ks= iꣳk; r l dju}

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010–15 की अवधि में इन ग्राम पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी। चूंकि क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी अतः जिला पंचायत पूरे जिले हेतु नीचे से ऊपर की पद्धति का अनुकरण करते हुए एक समेकित योजना तैयार करने में समर्थ नहीं थी।
- इन ग्राम पंचायतों ने अनुदान का उपयोग जल आपूर्ति व्यवस्था के सृजन, संचालन एवं रख रखाव, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, मार्ग प्रकाश तथा मार्गों के निर्माण एवं अनुरक्षण पर किया था। यद्यपि लेखापरीक्षा ने पाया कि इन ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2010–15 की अवधि में ₹ 94.32 लाख *ifff'k"V 2-1-13* के विभिन्न सामग्रियों का क्रय सीधे बाजार से बिना कोटेशन/निविदा आमंत्रण के किया था। बिना कोटेशन/निविदा आमंत्रण के विभिन्न सामग्रियों का क्रय किये जाने के कारण दर की युक्तियुक्तता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

- नमूना जांच किये गये 28 में से 24 ग्राम पंचायतों ने 2010-15 की अवधि में ₹ 25.59 लाख का व्यय 24 ग्राम पंचायत में स्थापित हैण्डपम्पों के मरम्मत पर किया था *॥ fff'k"V 2-1-14॥* परन्तु सम्बंधित अभिलेखों यथा शिकायत पंजिका, भंडार (स्टाक) प्राप्ति/निर्गम पंजिका आदि का रख रखाव नहीं किये जाने के कारण लेखापरीक्षा में मरम्मत की आवश्यकता एवं वास्तविक मरम्मत का पता नहीं चल सका।
- पंचायती राज मैनुअल के प्रस्तर 152 के अनुसार ₹ 1,000 से अधिक की लागत के कार्यों के निष्पादन हेतु आगणन बनाया जाना आवश्यक है। यद्यपि नमूना जांच किये गये ग्राम पंचायत ने 2010-15 की अवधि में ₹ 3.20 करोड़ *॥ fff'k"V 2-1-15॥* का व्यय ₹ 1,000 से अधिक लागत वाले विभिन्न कार्यों पर किया था किंतु मैनुअल के प्रावधानों का उलंघन करते हुए उनका आगणन नहीं बनाया गया था।

2-1-8-34 ftyk iṣk; r l ṣrkuiḡ

- यद्यपि जिला पंचायत द्वारा तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010-15 की अवधि में कार्य योजना बनाई गई थी किंतु विनिर्दिष्ट कार्यों के वास्तविक कार्य स्थल जहां कार्य सम्पादन किया जाना था, का विवरण योजना में नहीं दिया गया था। जिला पंचायत सदस्यों के प्रस्ताव को कार्यवाही पंजिका में दर्ज नहीं किया गया था एवं योजनाओं को जिला पंचायत की बैठक के उपरान्त तैयार किया गया। इस प्रकार सदस्यों के प्रस्तावों के बिना ही कार्यों को योजना में सम्मिलित किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। जिला पंचायत सदस्यों के प्रस्तावों के संकलन के द्वारा योजना बनाने एवं राज्य सरकार (जून 2014) द्वारा योजना को स्वयं अध्यक्ष द्वारा बनाने के लिए विशिष्ट प्रतिबंध लगाये जाने के बावजूद जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2014-15 में वार्षिक कार्य योजना बनायी गयी थी।
- कार्यों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों का सीमांकन नहीं किया गया था जबकि राज्य सरकार के निर्देश (जनवरी 2005 एवं जून 2014) के अनुसार यह आवश्यक था। ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में जिला पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों का उदाहरण *i fff'k"V 2-1-8* में दिया गया है।
- जिला पंचायत ने उपलब्ध लगभग समस्त धनराशि को नये मार्ग निर्माण कार्यों पर व्यय कर दिया था तथा मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्यों के प्राथमिक गतिविधियों को नजरअंदाज किया था। वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 18.32 करोड़ में से ₹ 18.11 करोड़ की धनराशि (98.85 प्रतिशत) 139 नई सड़क निर्माण कार्यों पर *॥ fff'k"V 2-1-9॥* और केवल ₹ 0.21 करोड़ (1.15 प्रतिशत) अनुरक्षण कार्यों पर *॥ fff'k"V 2-1-10॥* व्यय किया गया था।
- जिला पंचायत ने अनुबंध के आधार पर वर्ष 2010-15 की अवधि में 142 कार्य कराये थे जिनमें 73 कार्य विलंबित थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्यों को समय से पूर्ण करने हेतु कार्यों की स्तरवार प्रगति की निगरानी नहीं की गई थी और अनुबंध की शर्तों के अधीन अनुबंध को विलंब से पूर्ण करने के लिए देय अर्थदण्ड ₹ 41.14 लाख कम लगाया गया था *॥ fff'k"V 2-1-11॥*

2-1-8-35 {ks= iṣk; r /kui rxat] i rki iḡ dehPNk , oa djks/kh dyka

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010-15 की अवधि में इन क्षेत्र पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी।

2-1-8-36 xke iṣk; r ,ui iġ] fcl okā bVokeyukiġ] egemiġ] jkeuxj ,oa l eġksuk ¼{k= iṣk; r /kuirxat½] xke iṣk; r cāhdykġ] ?kegk] dkBjk[kn] jkex<} l k<kiġ ¼{k= iṣk; r irki iġ dehNk½ ,oa xke iṣk; r ckxj dyk] xkġk fVdjh ,oa igkM+ġ dyk ¼{k= iṣk; r djkshdyk½

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010–15 की अवधि में इन ग्राम पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी। चूँकि क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी अतः जिला पंचायत पूरे जिले हेतु नीचे से उपर की पद्धति का अनुकरण करते हुए एक समेकित योजना तैयार करने में समर्थ नहीं थी।
- चयनित 15 में से 14 ग्राम पंचायतों ने अनुदान का उपयोग जल आपूर्ति व्यवस्था के सृजन, संचालन तथा रखरखाव, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, मार्ग प्रकाश तथा मार्गों के निर्माण एवं अनुरक्षण पर किया था। यद्यपि लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2010–15 की अवधि में ₹ 63.32 लाख ¼i fġ'k"V 2-1-13½ के विभिन्न सामग्रियों का क्रय सीधे बाजार से बिना किसी कोटेशन/निविदा आमंत्रण के किया था। बिना कोटेशन/निविदा आमंत्रण के विभिन्न सामग्रियों का क्रय किये जाने के कारण दर की युक्तियुक्तता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
- चयनित 15 में से 13 ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2010–15 की अवधि में ₹ 26.89 लाख का व्यय अपने ग्राम पंचायतों में स्थापित हैण्डपम्पों के मरम्मत पर किया था ¼i fġ'k"V 2-1-14½ परन्तु सम्बंधित अभिलेखों यथा शिकायत पंजिका, भंडार प्राप्ति/निर्गम पंजिका आदि का रख रखाव नहीं किये जाने के कारण लेखापरीक्षा में मरम्मत की आवश्यकता एवं वास्तविक मरम्मत का पता नहीं चल सका।
- पंचायती राज मैनुअल के प्रस्तर 152 के अनुसार ₹ 1,000 से अधिक की लागत के कार्यों के निष्पादन हेतु आगणन बनाया जाना आवश्यक है। यद्यपि चयनित ग्राम पंचायत ने वर्ष 2010–15 की अवधि में ₹ 1.32 करोड़ ¼i fġ'k"V 2-1-15½ का व्यय ₹ 1,000 से अधिक लागत वाले विभिन्न कार्यों पर किया था किंतु मैनुअल के प्रावधानों का उलंघन करते हुए उनका आगणन नहीं बनाया गया था।

राज्य सरकार द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुए (दिसम्बर 2015) कहा गया कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947/1961 के अनुसार योजना तैयार करने के लिए आवश्यक निर्देश दिये गये हैं एवं तदनुसार योजनायें तैयार की जा रही हैं। आगे यह भी कहा गया कि निर्माण सामग्री की खरीद केवल टेण्डर/कोटेशन के आधार पर ही किये जाएं तथा ग्राम पंचायत से क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवश्यक निर्देश (30 जुलाई 2014) जारी कर दिये गये हैं। नये सड़क के निर्माण एवं मौजूदा सड़को के रख-रखाव हेतु जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा सदन में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किये गये थे जबकि मार्ग प्रकाश, पेयजल एवं अन्य नागरिक सुविधाओं हेतु कोई प्रस्ताव नहीं थे।

राज्य सरकार का उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपभोग हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अंतर्गत नये मार्गों का निर्माण सम्मिलित नहीं था। अग्रेतर, जिला पंचायत के 10 लाख से ऊपर के सभी कार्य राज्य सरकार से स्वीकृत होने थे। इसलिए राज्य सरकार को भी नये

सड़को के निर्माण के प्रस्ताव स्वीकृत करते समय दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए था। राज्य के ग्रामीण आबादी में सफाई, अपशिष्ट प्रबन्धन, सीवेज निस्तारण, पेयजल आपूर्ति, मार्ग प्रकाश आदि में सुधार की आवश्यकता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, जिला पंचायत सदस्यो द्वारा विचार करने एवं उपयुक्त स्तर से स्वीकृति के लिए जमीनी स्तर की आवश्यकताओं को विस्तृत ढंग से पहचान हेतु एक सुव्यवस्थित पद्धति को अपनाने की आवश्यकता है।

देय अर्थदण्ड के संबंध में राज्य सरकार द्वारा बताया गया कि जुर्माना नियमानुसार लगाया गया एवं वसूला गया जो कि आगणन का एक प्रतिशत प्रतिदिन एवं अधिकतम दस प्रतिशत अथवा अपर मुख्य अधिकारी द्वारा तय धनराशि थी। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि कार्यों को विलंब से पूर्ण करने के लिए दोषी ठेकेदारों से वसूल किये जाने वाले अर्थदण्ड को अपर मुख्य अधिकारी मनमाने ढंग से कम नहीं कर सकते।

राज्य सरकार से तकनीकी स्वीकृति न प्राप्त करने की आपत्ति को राज्य सरकार द्वारा मान लिया गया। अमान्य कार्यों के निर्माण से सम्बंधित उत्तर में यह बताया गया कि कार्यों को निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कराया गया। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि ये कार्य स्कूल के निजी परिसर एवं खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में कराये गये हैं जो कि नागरिक सुविधाओं की श्रेणी में नहीं आते।

राज्य सरकार द्वारा यह भी बताया गया कि (दिसम्बर 2015) ग्राम पंचायत द्वारा ₹ 50,000 तक के कार्य प्राक्कलन के आधार पर बिना किसी तकनीकी स्वीकृति के करा सकती है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्यों को प्राक्कलन के आधार पर नहीं कराया गया था।

ग्रामीण जनता को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपर्याप्त योजना थी और विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के क्रय एवं कराये गये कार्यों के लिए स्वीकृत मूल्य टेण्डर/कोटेशन पर आधारित नहीं थे। जिला पंचायत द्वारा अन्य आधारभूत सुविधाओं की अनदेखी कर मुख्यतः सड़को के कार्यों को कराया गया था।

वृद्धि का 8% राज्य सरकार को तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अधीन स्वीकृत सभी मूलभूत सुविधाओं के लिए पर्याप्त योजना के साथ कार्यकलाप तथा सामग्री खरीद की प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

2-1-9 सुव्यवस्था की) फर

2-1-9-1 मप ररकjh; सुव्यवस्था की फेर }kj k vi ; क र सुव्यवस्था की

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (जुलाई 2010) के अनुसार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन (जुलाई 2010) प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्य योजनाओं की स्वीकृति, कार्य योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण और अनुदानों के उपयोग की समीक्षा करने के उद्देश्य से किया गया था। उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति को वर्ष के प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करना था।

पंचायती राज सचिवालय के अभिलेखों की जांच से ज्ञात हुआ कि उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में की गई। जबकि, वर्ष 2012-13 के दो तिमाहियों में तथा 2014-15 की एक तिमाही में बैठक नहीं की गई।

2-1-9-2 ftyk ipk; r vuϕo.k izdk'B }kjk vuϕo.k

जिला पंचायत के कार्यकलापों की गहन निगरानी को सुनिश्चित करने के क्रम में प्रमुख सचिव पंचायती राज के अधीन जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ का गठन किया गया था (मार्च 1992)। ₹ 10 लाख से ऊपर की अनुमानित लागत वाले कार्यों की राज्य सरकार की ओर से तकनीकी तथा प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया का अनुश्रवण इस प्रकोष्ठ को करना था। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार (सितम्बर 2011) जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ के तकनीकी अधिकारियों द्वारा तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की निरन्तर जांच की जानी थी। इसके अतिरिक्त तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपभोग का प्रमाण-पत्र जिला पंचायत द्वारा प्रत्येक माह जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ को भेजा जाना था। जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ द्वारा तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग के लिए अनुश्रवण और भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। चयनित 12 में से छः¹⁰ जिला पंचायतों ने जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ को उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किया था। जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ के पास तेरहवें वित्त आयोग अनुदान के उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं थे।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा की आपत्तियों को स्वीकार करते हुए जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ द्वारा अपर्याप्त अनुश्रवण के लिए तकनीकी मानवशक्ति की कमी को मुख्य कारण बताया।

2-1-9-3 ftyk@[k.M Lrj ds vf/kdkfj; k}kjk vuϕo.k

क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के द्वारा तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपभोग की प्रगति जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की जानी थी। ग्राम पंचायतों द्वारा अनुदानों के उचित उपभोग के लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) पूर्णतः जिम्मेदार थे।

यद्यपि, लेखापरीक्षा ने पाया कि जिला स्तरीय अधिकारियों ने क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत द्वारा तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपभोग का गम्भीरतापूर्वक निगरानी नहीं की गई। जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों से पूर्णतः उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया गया था। जिला पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर उनके द्वारा की गई जांच के समर्थन में किसी निरीक्षण प्रतिवेदन का रख-रखाव नहीं किया गया था।

2-1-9-4 vfØ; k'khy fu; kstu , oa fodkl | fefr

राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम¹¹ 1947 के 29वें अनुच्छेद के अधीन अधिसूचित 'विकास एवं नियोजन समिति' का कार्य ग्राम पंचायत के नियोजन एवं उनके विकास कार्यों में सहायता पहुँचाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित जिलों के नमूना जांच किये गये ग्राम पंचायतों में यह समिति क्रियाशील नहीं थी। क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत द्वारा उचित योजना सुनिश्चित करने हेतु इनकी कोई बैठक नहीं हुई। वार्षिक कार्य योजना भी इस समिति को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप कार्य को इस समिति

¹⁰ गौतम बुद्ध नगर, गोण्डा, लखनऊ, मऊ, सीतापुर एवं सुल्तानपुर।

¹¹ उत्तर प्रदेश अधिनियम 33, 1999 द्वारा प्रतिस्थापित।

की स्वीकृति के बिना कराया गया जबकि इस समिति को विशेषतः कार्य की स्वीकृति के लिए ही बनाया गया था।

2-1-9-5 vKlrfjd fu; æ.k i z.kkyh

लेखापरीक्षा ने पाया कि पंचायती राज संस्थाओं में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अभाव था जैसा कि निम्नवत वर्णन किया गया है—

- उपयोग में लाये गये मस्टर रोल और माप पुस्तिकाओं पर उनकी क्रम संख्या अंकित नहीं थी और वे क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायत के नियंत्रण अधिकारी (जिला पंचायत राज अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी) द्वारा निर्गत नहीं किया गया था।
- माप पुस्तिकाओं की जाँच नहीं की गई थी।
- अधिकांश क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में श्रमिकों को नकद भुगतान किया गया था।
- मुख्य लेखा अधिकारी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के 49,824 लेखापरीक्षा प्रस्तर निस्तारण हेतु मार्च 2015 तक अवशेष थे।

राज्य सरकार ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए कार्यों का मापन माप पुस्तिकाओं में किया जा रहा है तथा तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत श्रमिकों को भुगतान इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर पद्धति से किया जाना प्राविधान में नहीं था। उत्तर सही नहीं है क्योंकि नमूना जांच किये गये ग्राम पंचायत में भुगतान की स्थिति भिन्न थी और भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु श्रमिकों को भुगतान उनके बैंक खातों के माध्यम से करना था।

2-1-10 fu"d"kl , oa vuq ka k

वित्तीय प्रबंधन, अभिलेखों का रख रखाव, योजना, कार्यों का सम्पादन और अनुश्रवण में अनेक कमियों के कारण तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान का उचित उपयोग निर्धारित अवधि में कुशलतापूर्वक सुनिश्चित नहीं किया गया था विवरण निम्नवत है:

- वित्तीय प्रबंधन की कमियों के परिणामस्वरूप अनुदानों को स्थानान्तरित नहीं किया जा सका, अनुदानों के स्थानान्तरण में विलम्ब हुआ, अर्जित ब्याज क्रेडिट नहीं किया जा सका और राज्य स्तर तथा पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तर में अप्रयुक्त निधि पड़ी हुई थी।

¶i Lrj 2-1-6-1 / s 2-1-6-9¶

vuq ka k% राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थाओं के बैंक खाते में अनुदानों का समय से स्थानान्तरण तथा जमा होना सुनिश्चित करना चाहिए। अनुदानों का प्रभावी ढंग से उपभोग भी सुनिश्चित करना चाहिये।

- बुनियादी अभिलेख जैसे, प्राक्कलन पंजिका, भंडार प्राप्ति पंजिका, भंडार निर्गम पंजिका, मार्ग पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, अनुबंध पंजिका, माप पुस्तिका आदि का रख-रखाव नमूना जांच किये गये पंचायती राज संस्थाओं में नहीं किया गया था। इसने निष्पादन लेखापरीक्षा को सीमित किया तथा पंचायती राज संस्थाओं में किए गए व्यय का भी सही और प्रमाणपूर्वक सत्यता लेखापरीक्षा में नहीं हो सका।

¶i Lrj 2-1-7¶

वृद्धि का 8% सरकार द्वारा बुनियादी अभिलेखों का रख-रखाव अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

- नीचे से ऊपर की पद्धति में उचित योजना बनाना पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित नहीं किया गया था जिसके कारण मूलभूत सुविधाओं को नहीं प्रदान किया जा सका तथा निधियों का अप्रयुक्त अवशेष भी था।

¶i Lrj 2-1-8-1 / s 2-1-8-36¶

वृद्धि का 8% मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने एवं निधियों के अप्रयुक्त अवशेष से बचने के लिए पर्याप्त नियोजन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

- जिला पंचायतों ने अधिकांशतः सड़क कार्यों (कुल व्यय का 95.35 प्रतिशत) को कराया था तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं के क्रियाकलापों की अनदेखी किया था।

¶i Lrj 2-1-8-1 / s 2-1-8-36¶

वृद्धि का 8% ग्रामीण क्षेत्रों में दीर्घकालिक विकास के लिए मूलभूत सुविधाओं पर व्यय को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

- बिना कोटेशन/टेण्डर के सामग्रियों का क्रय तथा कार्य का निष्पादन कराया गया था, जिसके कारण दरों के युक्तियुक्तता की पुष्टि लेखापरीक्षा में नहीं हो सकी।

¶i Lrj 2-1-8-1 / s 2-1-8-36¶

वृद्धि का 8% सरकार द्वारा भण्डार एवं स्टॉक के क्रय तथा कार्यों के निष्पादन से सम्बंधित नियमों एवं प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

- कार्यक्षेत्र में जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ द्वारा नगण्य तथा जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा न्यूनतम अनुश्रवण किया गया था।

¶i Lrj 2-1-9-2 , oa 2-1-9-3¶

वृद्धि का 8% व्यय को मूलभूत सुविधाओं के लिए परिसीमित/सुनिश्चित करने हेतु जिला पंचायत स्तर पर मजबूत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2-2 BvkfMV vkID LdhEI : YI] 2011B ij ogn iLrj

dk; Ldkjh I kjk k

भारत सरकार ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कि परामर्श से "आडिट ऑफ स्कीम्स रूल्स, 2011" नामक नियमों एवं विनियमों के एक सेट को तैयार किया। तदोपरान्त उत्तर प्रदेश शासन ने एक स्वतंत्र अभिकरण के रूप में सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई (एस.ए.यू.) का गठन किया (अगस्त 2012)। सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई का मुख्य उद्देश्य सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पादित किये जाने हेतु ग्राम सभा की क्षमता का विकास करना, सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हेतु प्रारूप तैयार करना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों एवं हकदारी के बारे में श्रमिकों में जागरूकता पैदा करना एवं अभिलेखों और कार्यस्थलों के सत्यापन हेतु सुविधा प्रदान करना था। "आडिट ऑफ स्कीम्स रूल्स, 2011" पर विस्तृत प्रस्तर की प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत् वर्णित है:

fuf/k i xU/ku

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के आदेश (अप्रैल 2013) के अनुसार मनरेग्स निधि के कुल व्यय का एक प्रतिशत तक सामाजिक लेखापरीक्षा पर व्यय किया जाना था एवं पाँच प्रतिशत तक मनरेग्स योजना के प्रशासनिक व्यय हेतु नियत किया गया था। यद्यपि मनरेगा प्रकोष्ठ ने 2013-14 एवं 2014-15 में सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु ₹ 44.03 करोड़ सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई को कम अवमुक्त किया था जबकि मनरेगा प्रकोष्ठ के द्वारा प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत 2013-15 की अवधि में पाँच प्रतिशत से अधिक (₹ 104.11 करोड़) व्यय किया गया था।

¶i Lrj 2-2-7-2¶

fu; kstu

● सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत की प्रति छः माह में कम से कम एक सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु एक वार्षिक कैलेंडर तैयार किया जाना था। तदनुसार प्रत्येक वर्ष में प्रदेश की 52,111 ग्राम पंचायतों की 1,04,222 सामाजिक लेखापरीक्षा नियोजित की जानी थी। फिर भी 2013-14 एवं 2014-15 में क्रमशः मात्र 13,192 (13 प्रतिशत) एवं 25,748 (25 प्रतिशत) सामाजिक लेखापरीक्षा नियोजित की गयी इनमें से 2013-14 में मात्र 11,412 (11 प्रतिशत) एवं 20,844 (20 प्रतिशत) क्रमशः 2013-14 एवं 2014-15 में सम्पादित की गयी।

¶i Lrj 2-2-8-1¶

● सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु विलम्ब से वार्षिक कैलेंडर तैयार किये जाने के कारण ग्राम सभा की बैठक की तिथि से 15 दिन पूर्व अभिलेखों को सामाजिक लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित नहीं किया गया था।

¶i Lrj 2-2-8-2¶

● 38 जिला सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक एवं 446 ब्लॉक सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक, जुलाई 2012 से मार्च 2013 की अवधि में लगाये गये थे लेकिन उस अवधि में कोई सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पादित नहीं की गयी, परिणामस्वरूप उन्हें ₹ 3.62 करोड़ के मानदेय का किया गया भुगतान अलाभकारी रहा। इसके अतिरिक्त 29,162 अधिक संसाधित व्यक्तियों को दिये गये प्रशिक्षण के कारण ₹ 94.15 लाख व्यर्थ रहा।

¶i Lrj 2-2-8-3 , oa 2-2-8-4¶

I kekftd ys[kki jh{kk dk I Eiknu

- 30 नमूना परीक्षित जनपदों में से 24 जनपदों में पाया गया कि 2014-15 की अवधि में 1,302 असम्प्रेक्षित ग्राम पंचायतों में से 769 ग्राम पंचायतों द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा दल को अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी थी।

Wi Lrj 2-2-9-3%

- 50 नमूना जाँच की गयी ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा की बैठकों में ग्रामीणों की सहभागिता नगण्य थी एवं ग्राम पंचायतों की कुल जनसंख्या का 0.07 से 3.76 प्रतिशत के मध्य थी।

Wi Lrj 2-2-9-5%

- सामाजिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा में पायी गयी आपत्तियों के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं रखा गया था, यद्यपि दिशानिर्देशों में प्रावधानित था।

Wi Lrj 2-2-9-7%

- सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई को लेखापरीक्षा के दौरान परिसम्पत्तियों का स्थायित्व एवं उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु गुणवत्ता अनुश्रवक उपलब्ध कराना था, तथापि लेखापरीक्षा पाया गया कि परिसम्पत्तियों की गुणवत्ता अनुश्रवण सुनिश्चित करने हेतु कोई भी गुणवत्ता अनुश्रवक नियुक्त नहीं किये गये थे।

Wi Lrj 2-2-9-8%

I kekftd ys[kki jh{kk ij vuprh{ dk; bkgb

सामाजिक लेखापरीक्षा के उपरान्त पायी गयी कमियों पर सुधारात्मक कार्यवाही जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा किया जाना था तथा राज्य सरकार अनुवर्ती कार्यवाही हेतु उत्तरदायी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 30 नमूना परीक्षित जनपदों में से 16 जनपदों में मार्च 2015 तक ₹ 164.22 लाख (2013-15) के दुर्विनियोग के 444 लम्बित प्रकरणों के सापेक्ष मात्र ₹ 0.13 लाख (0.08 प्रतिशत) की वसूली की गयी थी।

Wi Lrj 2-2-12 , oa 2-2-14%

2-2-1 i Lrkouk

सामाजिक लेखापरीक्षा (एसए) वह लेखापरीक्षा है जो सरकार और जनता, विशेषकर जो लेखापरीक्षित योजना के अभिप्रेत लाभार्थी हैं या उससे प्रभावित हैं के द्वारा संयुक्त रूप से सम्पादित की जाती है। सामाजिक लेखापरीक्षा को समुदाय द्वारा प्राथमिक हितधारकों के सक्रिय भागीदारी के रूप में योजना/कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं उसके परिणामों के सत्यापन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह सत्यापन कार्य के क्रम में समुदायों की भागीदारी से कार्यालयीय अभिलेखों एवं जमीनी वास्तविकता से तुलना करके सत्यापन कार्य में पायी गयी आपत्तियों को सार्वजनिक मंच पर तेज आवाज में पढ़ कर सम्पादित किया जाता है। सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया वित्तीय लेखांकन जाँच से आगे जाकर यह बताती है कि जिस धन का व्यय किया गया है, वह उचित रूप से व्यय किया गया है और उससे जनता के जीवन स्तर में सुधार आया है। सामाजिक लेखापरीक्षा का लक्ष्य प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनियमितताओं पर नियंत्रण करना है।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 (मनरेगा) की धारा 17(2) ग्राम सभा की सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पादित करने हेतु स्पष्ट रूप से अधिदेश प्रदान करती है। भारत सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से नियमों एवं विनियमों को अप्रैल, 2011 में तैयार किया गया जिसे "महात्मा गाँधी नेशनल रूरल इम्प्लायमेंट गारण्टी आडिट ऑफ स्कीम्स रूल्स, 2011" नामक शीर्षक से मनरेगा की धारा 24 की उपधारा (1) के अन्तर्गत सामाजिक लेखापरीक्षा को सम्पादित किया जाने हेतु प्रक्रिया सम्बन्धी दिशानिर्देश दिया गया। "आडिट ऑफ स्कीम रूल्स, 2011" के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक स्वतंत्र अभिकरण "उत्तर प्रदेश मनरेग्स सोशल आडिट संगठन", जिसे आगे "सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई" (एसएयू) के रूप में संदर्भित किया गया है, के गठन के लिए आदेशित किया (जुलाई 2012) जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 में पंजीकृत हुयी (अगस्त 2012)।

2-2-2 | लेखापरीक्षा प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश

उत्तर प्रदेश शासन के आदेश (जुलाई 2012) के अनुसार तीन निकायों यथा; साधारण सभा, शासी सभा एवं कार्यकारी समिति का गठन सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई की कार्यप्रणाली के निष्पादन एवं कार्यान्वयन के लिये किया गया था। शासन द्वारा राज्य स्तर पर एक निदेशक की नियुक्ति¹ की गयी थी जो संगठन के समग्र प्रबंधन, उपरोक्त सभा/समितियों के निर्णयों के क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी थे। सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई उत्तरदायी थी:

(क) सामाजिक लेखापरीक्षा संपादन के लिए ग्राम सभा की क्षमता को विकसित करना एवं उत्तर प्रदेश की जनता के अधिकारों के प्रति जागरूक करना, काम का अनुभव एवं ज्ञान रखने वाले अनुभवी प्राथमिक हितधारकों और अन्य नागरिक सामाजिक संगठनों में से ग्राम, ब्लाक, जनपद एवं राज्य स्तर पर उपयुक्त व्यक्तियों की पहचान करना, प्रशिक्षण देना एवं तैनाती करना;

(ख) सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया हेतु सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रारूपों, संसाधन सामग्री, दिशानिर्देशों एवं नियम पुस्तिकाओं को तैयार करना;

(ग) मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरों के बीच उनके अधिकारों एवं हकदारी के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करना;

(घ) अभिलेखों एवं कार्यस्थलों के सत्यापन के लिये प्राथमिक हितधारकों को सुविधा प्रदान करना;

(ङ) ग्राम सभाओं में सामाजिक लेखापरीक्षा के सुचारु रूप से सम्पादन एवं आवश्यक चर्चा के पश्चात् निर्णयों को पढ़ने, अंतिम रूप देने में सुविधा प्रदान करना; एवं

(च) सार्वजनिक स्थल पर सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित उस पर की गयी कार्यवाही को प्रदर्शित करना।

2-2-3 | लेखापरीक्षा रिपोर्ट


राज्य स्तर पर निदेशक, सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई, राज्य में सामाजिक लेखापरीक्षा के समग्र सम्पादन हेतु उत्तरदायी थे। जिला कार्यक्रम समन्वयक² (डीपीसी) एवं

¹ अर्द्धशासकीय पत्राक-एम.एस.-80/दो-2-2012 दिनांक 18.10.12।

² जिलाधिकारी को जिला कार्यक्रम समन्वयक के रूप में कार्य करना था।

कार्यक्रम अधिकारी³ (पीओ) क्रमशः जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक लेखापरीक्षा का सुचारु रूप से संचालन हेतु उत्तरदायी थे। संसाधित व्यक्तियों के पाँच सदस्यीय दल को ग्राम पंचायत स्तर पर सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पादित करना था। इसके अतिरिक्त, जिला सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक एवं ब्लॉक सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक क्रमशः जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर जिला विकास अधिकारी के अधीन सामाजिक लेखापरीक्षा को सुविधा प्रदान करने हेतु संविदा के आधार पर अनुबंधित थे।

सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई (एस0ए0यू0)



(स्रोत: सामाजिक लेखा परीक्षा निदेशालय)

अग्रेतर, राज्य सरकार भी सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्यवाही हेतु उत्तरदायी थी। सुधारात्मक कार्यवाही जिला कार्यक्रम समन्वयक के पर्यवेक्षण में ग्राम स्तर पर सचिव (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी), ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी (पीओ), जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक के पर्यवेक्षण में उपायुक्त, महात्मा गान्धी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (मनरेग्स) एवं शासन स्तर पर अपर आयुक्त, मनरेग्स द्वारा किया जाना था। राज्य स्तर पर राज्य रोजगार गारण्टी परिषद् (एसईजीसी), शासन द्वारा की गयी अनुवर्ती कार्यवाही का अनुश्रवण करने एवं कृत कार्यवाही को वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल करते हुए विधान मण्डल के समक्ष रखे जाने के अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी थी।

2-2-4 सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई ;

आडिट ऑफ स्कीम्स रूल्स, 2011 पर विस्तृत प्रस्तर में हमारे द्वारा लिये गये लेखापरीक्षा उद्देश्यों में यह सुनिश्चित करना था कि क्या:

- राज्य में एक स्वतंत्र, सक्षम, योग्य, संसाधन युक्त सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई अस्तित्व में है;
- राज्य में सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई, उचित सहायक तंत्र जैसे; अभिलेखों की उपलब्धता, नियोजन, प्रतिवेदन एवं अनुवर्ती कार्यवाही प्रदान करती है;

³ खण्ड विकास अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कार्य करते थे।

- वर्ष 2014-15 के दौरान की गयी सामाजिक लेखापरीक्षा नियमों तथा विनियमों के अनुसार उचित एवं प्रभावकारी थी। क्या यह जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं राज्य सरकार के अन्य पदाधिकारियों द्वारा सक्रिय रूप से समर्थित एवं सहायतित थी;
- सामाजिक लेखापरीक्षा तंत्र को समर्थन की दृष्टि से, अन्य अभिकरण जैसे; राज्य रोजगार गारण्टी परिषद् (एस.ई.जी.सी.), ग्रामीण विकास मंत्रालय (एम.ओ.आर.डी.), इत्यादि के द्वारा पर्याप्त रूप से अपनी भूमिका का निर्वाह किया गया था।

2-2-5 य[क्कि जह{क्क eki n. M%

लेखापरीक्षा मापदण्ड के निम्नलिखित स्रोत थे:

- मनरेगा 2005 के प्रासांगिक प्रावधान;
- मनरेगा आडिट ऑफ स्कीम्स रूल्स, 2011;
- सामाजिक लेखापरीक्षा 2014 की विशेष परियोजना के दिशा-निर्देश एवं तदोपरान्त जारी स्पष्टीकरण;
- शासन द्वारा जारी किये गये नियमों एवं विनियमों, उत्तर प्रदेश सामाजिक लेखापरीक्षा संदर्शिका 2014 (प्रथम संस्करण), सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई का ज्ञापन; एवं
- मनरेगा की धारा 27(2) के क्रियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के प्रस्तर 10 में संशोधन।

2-2-6 य[क्कि जह{क्क {ks=} dk; ï z. kkyh vkj foLrkj

राज्य स्तर पर, निदेशक, सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई, मनरेगस प्रकोष्ठ, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान एवं प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय के सूचनाओं एवं अभिलेखों की जाँच की गयी। अग्रेतर, स्टैटिस्टिकल रैण्डम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के अनुसार 2014-15 में जहाँ सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी थी, में से 50 ग्राम पंचायतों (if f'k"V 2-2-1½ एवं संबंधित 30 जनपदों में 47 ब्लकों का चयन लेखापरीक्षा के लिए किया गया। ग्राम पंचायत स्तर पर सामाजिक लेखापरीक्षा स्थिति के मूल्यांकन के लिए जून 2015 एवं जुलाई 2015 में आडिट ऑफ स्कीम्स रूल्स, 2011 पर वृहद प्रस्तर लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी।

प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के साथ 07 मई 2015 को एक प्रारम्भिक बैठक आयोजित की गयी थी, लेकिन प्रमुख सचिव के साथ समापन बैठक की तिथि दिसम्बर 2015 तक प्रतीक्षित थी, यद्यपि नवम्बर 2015 में इस हेतु अनुरोध किया गया था। तथापि शासन द्वारा ली गयी लेखापरीक्षा आपत्तियों पर उत्तर उपलब्ध करा दिया गया था जिसे लेखापरीक्षा में यथास्थान सम्मिलित किया गया है।

य[क्कि जह{क्क fu"d"kl

2-2-7 fuf/k i xU/ku

मनरेगा के संचालन मार्गदर्शिका की धारा 13.4.6 के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई की स्थापना एवं सामाजिक लेखापरीक्षा के आयोजन का व्यय योजना को लागू करने के लिए दिये गये प्रशासनिक व्यय से पूरा किया जाना था। अग्रेतर, ग्रामीण

विकास मंत्रालय द्वारा दिये गये आदेशानुसार⁴ सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई की लागत एवं मनरेगा कार्यो की सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पादन की लागत मनरेगस के छः प्रतिशत प्रशासनिक व्यय से पूरी की जानी थी। राज्य में मनरेगस के कुल व्यय का एक प्रतिशत तक सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई के गठन एवं मनरेगा के कार्यो की सामाजिक लेखापरीक्षा पर व्यय, उपलब्ध छः प्रतिशत “प्रशासनिक व्यय” में से किया जाना था एवं अवशेष पांच प्रतिशत मनरेगस के अर्न्तगत प्रशासनिक व्यय से किया जाना था।

निधि का आवंटन मनरेगा प्रकोष्ठ द्वारा निदेशक, सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई एवं उक्त के पश्चात् सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई द्वारा जिला विकास अधिकारी को सामाजिक लेखापरीक्षा के व्ययों एवं जिला सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक, ब्लॉक सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक एवं सामाजिक लेखापरीक्षा दल के सदस्यों को मानदेय के भुगतान हेतु किया जाना था।

वर्षवार सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई द्वारा अनुमोदित बजट, मनरेगा योजना के अन्तर्गत व्यय, निधियों की प्राप्तियाँ एवं सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई द्वारा 2012-13 से 2014-15 में किये गये व्यय को I kj.kh 1 एवं pkVl 2 में प्रदर्शित किया गया है।

I kj.kh 1% I keftd ys[kki jh{kk bdkbZ dk foRrh; fooj.k


₹ dj km+ e9

o'kZ	eujXl ; ktuk dk i fr'kr 0; ;	I keftd ys[kki jh{kk bdkbZ }kj k vupkfnr ctV	i kj fEHkd vo' k'sk	i klr fuf/k; k;		dy mi yC/k fuf/k; k;	I keftd ys[kki jh{kk bdkbZ dk 0; ; %dkye&7 dk i fr'kr½	vi z Or vo' k'sk %dkye&7 dk i fr'kr½
				eujXl ; ktuk ds vlr½r %dkye&2 dk i fr'kr½	vU; i kflr; k;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2012-13	27.44	23.14	0.00	3.00(11)	0.01	3.01	0.44 (15)	2.57 (85)
2013-14	35.47	24.95	2.57	16.83(47)	0.29	19.69	14.72 (75)	4.97 (25)
2014-15 ⁵	31.41	56.33	4.97	6.01(19)	0.81	11.79	10.98 (93)	0.81 (07)

(स्रोत: मनरेगा प्रकोष्ठ एवं सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई)

pkVl 2% I keftd ys[kki jh{kk bdkbZ dh foRrh; fLFkfr

₹ dj km+ e9



(स्रोत: मनरेगा प्रकोष्ठ एवं सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई)

⁴ ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दिये गये आदेश संख्या-जे-110033/28/2012-मनरेगा (आर. ई.-7) दिनांक-12 अप्रैल 2013
⁵ सरणी में केवल मनरेगा योजना का व्यय शामिल किया गया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई द्वारा 17.55 करोड़ प्राप्त किया गया था और ₹ 6.78 करोड़ इन्दिरा आवास योजना की सामाजिक लेखापरीक्षा पर व्यय किया गया था जिसे वित्तीय विवरण में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वर्ष 2014-15 तक की बैलेंस शीट सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई द्वारा जुलाई 2015 तक तैयार नहीं की गयी थी।

अभिलेखों की जाँच में निम्नवत् कमियाँ दृष्टिगत हुयी:

2-2-7-1 I kekftd ys[kki jh{kk bdkb/ dks de fuf/k voeDr fd; k tkuk

जैसा कि सारणी 1 एवं चार्ट 2 में उल्लिखित है कि आवश्यकता के सापेक्ष 2012-15 की अवधि में 11 से 47 प्रतिशत निधि सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु अवमुक्त की गयी थी तथापि सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई ने उपलब्ध निधि को व्यय नहीं किया था एवं 2012 से 2015 के दौरान सात से 85 प्रतिशत निधि बिना व्यय के अवशेष के रूप में पड़ी रही यह अनियमित वित्तीय प्रबंधन को प्रदर्शित करता था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि निधि के व्यय न होने का कारण निधियों का कम एवं विलम्ब से अवमुक्त किया जाना था।

2-2-7-2 I kekftd ys[kki jh{kk bdkb/ ds vk dks eujXl }kj k 0; ; fd; k tkuk

जैसा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के आदेश (अगस्त 2012) में उल्लेखित है कि मनरेग्स के अन्तर्गत किये गये कुल व्यय का छः प्रतिशत प्रशासनिक व्यय पर किया जाना था। अग्रेतर, ग्राम्य विकास मंत्रालय (अप्रैल 2013) द्वारा स्पष्ट किया गया था कि कुल वार्षिक व्यय का एक प्रतिशत तक राज्य में सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु उपयोग किया जा सकता है, शेष पाँच प्रतिशत प्रशासनिक व्यय हेतु उपयोग किया जा सकता है।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 2013-14 और 2014-15 की अवधि में एक प्रतिशत सामाजिक लेखापरीक्षा अंश, सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई को उपलब्ध नहीं कराया गया था और जैसा कि I kj.kh 2 में दिया गया है दोनों वर्षों में प्रशासनिक व्यय पांच प्रतिशत से अधिक था।

I kj.kh 2% iz kkl fud 'kh"kl ds vlrxr 0; ; , oa I kekftd ys[kki jh{kk bdkb/ dks voeDr /kujkf' k; k;

₹ dj km+ eq

0"l	i kjFEHkd v'k'k , oa Lohdfr	dly 0; ;	ns iz kkl fud 0; ; %N% i fr' kr½			okLrfod iz kkl fud 0; ;			vlrj		I kekftd ys[kki jh{kk bdkb/ ds vk dks eujXl i d'kB }kj k 0; ;
			eujXl %dye rhu dk i kp i fr' kr½	I kekftd ys[kki jh{kk bdkb/ %dye rhu dk , d i fr' kr½ ; kx %4+5%	eujXl	I kekftd ys[kki jh{kk bdkb/ dks fuxr ; kx %7+8%	vf/kd 0; ; %7&4%	I kekftd ys[kki jh{kk bdkb/ dks de voeDr %8&5%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2013-14	3,967.23	3,546.56	177.33	35.46	212.79	275.61	16.83	292.44	98.28	18.63	18.64
2014-15	3,178.26	3,140.62	157.03	31.41	188.44	162.86	6.01	168.87	5.83	25.40	5.83
; kx	7]145-49	6]687-18	334-36	66-87	401-23	438-47	22-84	461-31	104-11	44-03	24-47

(स्रोत: मनरेगा प्रकोष्ठ एवं सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई, लखनऊ)

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 2013-15 की अवधि में ₹ 44.03 करोड़ सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई को कम अवमुक्त किया गया था एवं मनरेग्स प्रकोष्ठ द्वारा

प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत पाँच प्रतिशत से अधिक (₹ 104.11 करोड़) व्यय किया गया था जिसमें ₹ 24.47 करोड़ सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई का अंश भी शामिल था।

शासन द्वारा उपरोक्त आपत्तियों का उत्तर नहीं दिया गया।

वृद्धि का सामाजिक लेखापरीक्षा के सुगम संचालन हेतु निर्धारित निधियां अवमुक्त की जानी चाहिए।

2-2-8 fu; ktu

सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई (एसएयू) का मुख्य उद्देश्य, प्रत्येक ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत किये गये कार्यों की, सामाजिक लेखापरीक्षा (एसए) का सम्पादन कम से कम छः माह में एक बार आच्छादित किया जाना था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई को, सामाजिक लेखापरीक्षा के सम्पादन के लिये ग्राम सभा की क्षमता के निर्माण के लिये संसाधित व्यक्तियों की पहचान करना, प्रशिक्षण देना एवं ग्राम, ब्लाक, जनपद और राज्य स्तर पर उपयुक्त संसाधित व्यक्तियों को तैनात करना था एवं सामाजिक लेखापरीक्षा को प्रभावी रूप से लागू करने के लिये वार्षिक कैलेंडर तैयार करना था। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ दृष्टिगत हुईं:

2-2-8-1 I kekftd ys[kki jh{kk ds fy; s vi ; klr ; ktuk

सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई द्वारा एक वार्षिक कैलेंडर तैयार करना था जिससे प्रत्येक ग्राम पंचायत की सामाजिक लेखापरीक्षा छः महीने में कम से कम एक बार सम्पन्न हो सके। इसके अनुसार, राज्य में प्रत्येक वर्ष 52,111 ग्राम पंचायतों के लिये 1,04,222 सामाजिक लेखापरीक्षा की योजना तैयार की जानी थी।

लेखा परीक्षा में देखा गया कि सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई ने 2013-14 एवं 2014-15 की अवधि में क्रमशः 13,192 (13 प्रतिशत) एवं 25,748 (25 प्रतिशत) सामाजिक लेखापरीक्षा की योजना बनाई जिसमें से मात्र 11,412 (11 प्रतिशत) 2013-14 में एवं 20,844 (20 प्रतिशत) 2014-15 की सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई द्वारा बताया गया कि सामाजिक लेखापरीक्षा उपलब्ध संसाधनों, व्यक्तियों, निधि की उपलब्धता एवं अन्य कारणों पर आश्रित होती है। इसके अतिरिक्त सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई ने बताया कि नव सृजित संगठन होने के कारण सभी ग्राम पंचायतों की सामाजिक लेखापरीक्षा आच्छादित नहीं की जा सकी। उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई ने उपलब्ध मानव शक्ति के उपयोग के लिये पर्याप्त योजना नहीं बनाई एवं प्रशिक्षित संसाधित व्यक्तियों का अधिकतम उपयोग नहीं कर सकी जैसा कि आगे के प्रस्तरों 2.2.8.4 एवं 2.2.8.5 में चर्चा की गयी है।

2-2-8-2 I kekftd ys[kki jh{kk ds fy; s okf"kd dSys.Mj r\$ kj djus ea foyEc

संचालन मार्गदर्शिका की धारा 13.3.1 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत की छः माह में कम से कम एक बार सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पन्न किये जाने हेतु सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई को एक वार्षिक कैलेंडर तैयार करना था एवं वर्ष के प्रारम्भ में, कैलेंडर की एक प्रति आवश्यक व्यवस्था हेतु सभी जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रेषित की जानी थी। आडिट ऑफ स्कीम रूल्स, 2011 के प्रस्तर 7 के अनुसार कार्यक्रम अधिकारी को सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु 15 दिन पूर्व मांगी गयी सूचनाओं और

अभिलेख जैसे जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका, कार्य पंजिका आदि को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराना था।

सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई के अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि 2014-15 के प्रारम्भ में वार्षिक कैलेण्डर तैयार नहीं किया गया था, इसके स्थान पर त्रैमासिक कैलेण्डर तैयार किये गये थे। प्रथम त्रैमास का कैलेण्डर तैयार नहीं किया गया था, दूसरे त्रैमास (जुलाई से सितम्बर 2014) का कैलेण्डर 5 जून, 17 जून और 5 अगस्त 2014 को जारी किया गया था, तीसरे त्रैमास (अक्टूबर से दिसम्बर 2014) का कैलेण्डर 16 अक्टूबर 2014 और चौथे त्रैमास (जनवरी से मार्च 2015) का कैलेण्डर 4 फरवरी 2015 को जारी किया गया था। अंतिम त्रैमास, जनवरी 2015 में बिना लेखापरीक्षा के, 9 फरवरी 2015 से प्रभावी हुआ था। इस प्रकार वार्षिक कैलेण्डर न तैयार करने के कारण सामाजिक लेखापरीक्षा दलों को ग्राम सभा की बैठक से 15 दिन पूर्व अभिलेख उपलब्ध कराना सुनिश्चित नहीं किया गया था।

इंगित किये जाने पर शासन ने उत्तर दिया कि सामाजिक लेखापरीक्षा के सुचारु संचालन और अधिक सुविधाजनक बनाये जाने हेतु त्रैमासिक आधार पर कैलेण्डर जारी किये गये थे।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संचालन मार्गदर्शिका के अनुसार वार्षिक कैलेण्डर तैयार किया जाना चाहिये था।

अग्रेतर 50 ग्राम पंचायतों की नमूना जाँच में पाया गया कि सामाजिक लेखापरीक्षा कैलेण्डर में ग्राम सभा की सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु केवल एक तिथि अंकित की गयी थी, सामाजिक लेखापरीक्षा किये जाने हेतु समयावधि नहीं दी गयी थी। इस प्रकार, 23 ग्राम पंचायतों की सामाजिक लेखापरीक्षा एक दिन में सम्पादित की गयी थी एवं 17 ग्राम पंचायतों में समयावधि का अंकन नहीं किया गया था एवं अवशेष 10 ग्राम पंचायतों में दो से 13 दिन में सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी थी। जैसा कि *ifff'k"V 2-2-2* में दिया गया है।

उत्तर में शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया एवं भविष्य में अनुपालन का आश्वासन दिया गया।

2-2-8-3 fu"Qy 0; ;

सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई की स्थापना (जुलाई 2012) के पूर्व मनरेगस कार्यों की सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु संविदा के आधार पर जिला सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक एवं ब्लॉक सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक को लगाया गया था। शासन ने (जुलाई 2012) सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई की स्थापना के लिये एवं जिला सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक एवं ब्लॉक सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक की सेवाओं को एक वर्ष के लिये जारी रखने का आदेश दिया था। अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि जुलाई 2012 में 38 जिला सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक एवं 446 ब्लॉक सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक की सेवाओं को जारी रखने के बावजूद नौ माह तक (जुलाई 2012 से मार्च 2013 तक) कोई सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पादित नहीं की गयी। जिसके फलस्वरूप जिला सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक/ब्लॉक सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक को दिये गये मानदेय पर व्यय ₹ 3.62 करोड़⁶ निष्फल रहा।

⁶ 38 x 12,000x9 = 41,04,000, 446 x 8,000 x 9 = 3,21,12,000 = 41.04 + 321.12 = 362.16 लाख।

उत्तर में शासन ने बताया (नवम्बर 2015) कि जिला सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक एवं ब्लॉक सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक पर किया गया व्यय निष्फल नहीं था, क्योंकि उन्हें सामाजिक लेखापरीक्षा के लिये प्रशिक्षण दिया जाना था एवं उनकी सेवायें सामाजिक लेखापरीक्षा के लिये जागरूकता लाने में उपयोग की गयी थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 2012-13 में सामाजिक लेखापरीक्षा दल का गठन नहीं किया गया था एवं उत्तर प्रदेश सोशल आडिट संदर्शिका 2014 के प्रस्तर 7.3 के अनुसार जिला सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक एवं ब्लॉक सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक ऐसे कार्यों के लिये नहीं लगाये गये थे।

2-2-8-4 *vfrfjDr l d kf/kr 0; fDr; k dks i f' k{k.k*

मानकों के अनुरूप राज्य में सभी 52,111 ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा करने हेतु 34,265 संसाधित व्यक्तियों की आवश्यकता⁷ थी। अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 2013-14 में 34,265 संसाधित व्यक्तियों के सापेक्ष 40,670 को राज्य ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था। इस प्रकार सभी ग्राम पंचायतों की सामाजिक लेखापरीक्षा आच्छदित की जा सकती थी। तथापि सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई ने 2013-14 में 13,192 ग्राम पंचायतों की योजना बनायी एवं मात्र 11,412 ग्राम पंचायतों की ही सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी, जिसे मात्र 11,508 संसाधित व्यक्तियों⁸ द्वारा किया जा सकता था। इस प्रकार 29,162 अतिरिक्त संसाधित व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिये जाने पर ₹ 94.15 लाख⁹ का व्यय निरर्थक साबित हुआ क्योंकि प्रत्येक वर्ष नये सामाजिक लेखापरीक्षा दल का गठन किया जाना था।

इंगित किये जाने पर शासन ने बताया कि प्रशिक्षण का उद्देश्य सामाजिक लेखापरीक्षा टीम तैयार करना ही नहीं था बल्कि सामाजिक लेखापरीक्षा एवं ग्राम पंचायत में अन्य संचालित योजनाओं के प्रति जागरूक करना था।

शासन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रशिक्षण मात्र सामाजिक लेखापरीक्षा दल के सदस्यों को दिया गया जो चयन समिति के द्वारा चयनित किये गये थे।

2-2-8-5 *l d kf/kr 0; fDr; k dk de mi ; kx*

मानक के अनुसार प्रत्येक सामाजिक लेखापरीक्षा दल के द्वारा छः महीने में 10 ग्राम पंचायतों तथा एक वर्ष में 20 ग्राम पंचायतों की सामाजिक लेखापरीक्षा की जानी थी। वर्ष 2014-15 में नमूना जॉच में लिये गये 30 जनपदों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई के द्वारा 14,040 ग्राम पंचायतों की सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु, 2,345 (682 आरक्षित टीम को छोड़कर) सामाजिक लेखापरीक्षा दल के लिये वार्षिक कैलेण्डर तैयार किया गया था। इस प्रकार, प्रत्येक सामाजिक लेखापरीक्षा दल के लिये एक वर्ष में 20 ग्राम पंचायतों के मानक के सापेक्ष केवल तीन से 11 ग्राम पंचायतों की योजना बनायी गयी थी। *(i f j f' k"V 2-2-3)*

⁷ मानक के अनुसार 10 ग्राम पंचायतों की सामाजिक लेखा परीक्षा हेतु सामाजिक लेखा परीक्षा दल में पांच सदस्य होने थे और एक ब्लॉक में प्रत्येक श्रेणी के दो सदस्यों (2x5=10) आरक्षित सदस्य थे। इस प्रकार, सामाजिक लेखा परीक्षा हेतु आवश्यक सामाजिक लेखा परीक्षा दल (52111/10) = 5,211 थे। आवश्यक सामाजिक लेखा परीक्षा दलों के सदस्यों की संख्या (5211/5) = 26,055 एवं आरक्षित सदस्यों की संख्या (821 ब्लॉक/10) = 8,210 इस प्रकार, 52,111 ग्राम पंचायतों की सामाजिक लेखा परीक्षा हेतु आवश्यक सदस्यों की संख्या (26,055+8,210) = 34,265

⁸ 13192/20x5 = 3298+8210 (आरक्षित सदस्यों की संख्या)=11,508 संसाधित व्यक्तियों

⁹ ₹ (98,202+1,64,728+5,38,446+1,23,29,850) = (13131226/40670) x 29,162 = ₹ 94,15,608

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर शासन ने बताया कि लोकसभा सदस्यों के उपचुनाव, अन्य स्थानीय कारण एवं निधि की कमी के कारण सामाजिक लेखापरीक्षा प्रभावित हुई।

शासन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपलब्ध संसाधित व्यक्तियों के अनुसार ही योजना बनायी जानी चाहिये थी।

सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई को सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु समय पर वार्षिक कैलेंडर तैयार किया जाना चाहिये जिससे संसाधित व्यक्तियों का सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु उचित उपयोग किया जा सके।

2-2-9 सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई को सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु समय पर वार्षिक कैलेंडर तैयार किया जाना चाहिये जिससे संसाधित व्यक्तियों का सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु उचित उपयोग किया जा सके।

सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु 2014-15 हेतु 30 जनपदों के 47 क्षेत्र पंचायतों के चयनित 50 ग्राम पंचायतों, सामाजिक लेखापरीक्षा निदेशालय तथा मनरेग्स प्रकोष्ठ के अभिलेखों की जाँच में निम्न आपत्तियाँ प्रकाश में आयीं:

2-2-9-1 सामाजिक लेखापरीक्षा संदर्शिका के प्रस्तर 7.1(ब) के अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों/कर्मचारियों/पदाधिकारियों को सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि से कम से कम 30 दिन पूर्व सूचित किया जाना था।

सामाजिक लेखापरीक्षा संदर्शिका के प्रस्तर 7.1(ब) के अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों/कर्मचारियों/पदाधिकारियों को सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि से कम से कम 30 दिन पूर्व सूचित किया जाना था।

लेखापरीक्षा विश्लेषण में दृष्टिगत हुआ कि नमूना जाँच में ली गयी 50 ग्राम पंचायतों में से 34 ग्राम पंचायतों को सामाजिक लेखापरीक्षा तिथि से 30 दिन पूर्व, सभी स्तरों से सामाजिक लेखापरीक्षा की सूचना विलम्ब से प्राप्त होने के कारण सूचित नहीं किया गया था। विलम्ब से दी गयी सूचना की अवधि तीन से 28 दिनों के मध्य थी। सात ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि से केवल दो से सात दिन पूर्व ही सूचित किया गया था जैसा कि *ifjfk"V 2-2-4* में वर्णित है। पूर्व सूचना न दिये जाने के कारण कई अभिलेख सामाजिक लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध नहीं कराये गये एवं ग्रामीणों एवं लाभार्थियों की उपस्थिति भी कम थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर शासन ने तथ्यों की स्वीकार किया एवं भविष्य में अनुपालन का आश्वासन दिया।

2-2-9-2 आडिट आफ स्कीम रूल्स के प्रस्तर 7 एवं संचालन मार्गदर्शिका की धारा 13.3.3 के अनुसार कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा दल को सभी सूचनाएं तथा अभिलेख जैसे जाब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि को 15 दिन पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना था। अभिलेखों की जाँच में पाया गया नमूना जाँच में लिये 50 ग्राम पंचायतों में से 45 ग्राम पंचायतों में अभिलेखों को 15 दिन पूर्व सामाजिक लेखापरीक्षा दल को प्रस्तुत नहीं किया गया था। 13 ग्राम पंचायतों (26 प्रतिशत) में अभिलेखों को सामाजिक लेखापरीक्षा बैठक के ही दिन उपलब्ध कराया गया था। विवरण *ifjfk"V 2-2-5* में दिया गया है। इंगित किये जाने पर शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं भविष्य में अनुपालन हेतु आश्वासन दिया।

आडिट आफ स्कीम रूल्स के प्रस्तर 7 एवं संचालन मार्गदर्शिका की धारा 13.3.3 के अनुसार कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा दल को सभी सूचनाएं तथा अभिलेख जैसे जाब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि को 15 दिन पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना था। अभिलेखों की जाँच में पाया गया नमूना जाँच में लिये 50 ग्राम पंचायतों में से 45 ग्राम पंचायतों में अभिलेखों को 15 दिन पूर्व सामाजिक लेखापरीक्षा दल को प्रस्तुत नहीं किया गया था। 13 ग्राम पंचायतों (26 प्रतिशत) में अभिलेखों को सामाजिक लेखापरीक्षा बैठक के ही दिन उपलब्ध कराया गया था। विवरण *ifjfk"V 2-2-5* में दिया गया है। इंगित किये जाने पर शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं भविष्य में अनुपालन हेतु आश्वासन दिया।

अग्रेतर, उत्तर प्रदेश सामाजिक लेखापरीक्षा संदर्शिका 2014 के प्रस्तर 8.1.1 के अनुसार कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कार्यदायी विभागों द्वारा कराये गये कार्यों से संबंधित अभिलेखों को विवरणों के साथ, सामाजिक लेखापरीक्षा दल को 15 दिन पूर्व उपलब्ध कराया जाना था।

नमूना जाँच में लिये गये 50 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि पांच ग्राम पंचायतों¹⁰ में कार्यदायी विभागों द्वारा मनरेग्स योजना के अन्तर्गत कार्य कराये गये थे लेकिन अभिलेखों को सामाजिक लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर शासन ने तथ्यों की स्वीकार किया एवं भविष्य में अनुपालन का आश्वासन दिया गया।

2-2-9-3 I kekftd ys[kki jh{kk dk I Eikfnr u gkuk

संचालन मार्गदर्शिका की धारा 13.4.2 के अनुसार जिला कार्यक्रम समन्वयक या उसकी ओर से किसी अधिकारी को यह सुनिश्चित करना था कि कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा सभी अभिलेख कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से सामाजिक लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराये जायें। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2014-15 में नमूना जाँच में लिये गये जनपदों में से 24 जनपदों की 11,830 नियोजित ग्राम पंचायतों में से मात्र 10,528 ग्राम पंचायतों की सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी थी। असम्प्रेक्षित 1,302 (ifj'k"V 2-2-6½) ग्राम पंचायतों में से 769 ग्राम पंचायतों द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा दल को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया था अन्य इंगित कारणों में कैलेंडर का उपलब्ध न कराया जाना, उपचुनाव तथा बाढ़ आदि था। यद्यपि अनुपालन नहीं करने वाली ग्राम पंचायतों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर शासन द्वारा उत्तर नहीं दिया गया।

2-2-9-4 ukfer vf/kdkfj ; k dk Hkkx u yuk

संचालन मार्गदर्शिका की धारा 13.3.6 के अनुसार जिला कार्यक्रम समन्वयक या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को ग्राम सभा सामाजिक लेखापरीक्षा बैठक के सुगम संचालन हेतु इसका पर्यवेक्षण करना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच में लिये गये 50 ग्राम पंचायतों में से 40 ग्राम पंचायतों (80 प्रतिशत) की सामाजिक लेखापरीक्षा बैठक में जिला कार्यक्रम समन्वयक या उनके द्वारा नामित अधिकारी उपस्थित नहीं थे। यद्यपि उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई थी जैसा कि ifj'k"V 2-2-7 में वर्णित है।

शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया एवं भविष्य में जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया।

2-2-9-5 I kekftd ys[kki jh{kk cBd ea xkeh. kka dh I ghkkfxrk u gkuk

संचालन मार्गदर्शिका की धारा 13.3.2 के अनुसार श्रमिकों एवं ग्राम समुदायों को सामाजिक लेखापरीक्षा बैठक के लिये सूचित किया जाना था एवं कार्यक्रम अधिकारी द्वारा ग्राम सभा में पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित की जानी थी।

¹⁰(1) चरवा, ब्लाक: चायल, जिला: कौशाम्बी (2) गोसा प्रयागपुर, ब्लाक: गंजमुरादाबाद, जिला: उन्नाव (3 एवं 4) लक्ष्मनपुर मटही और मटिहा ब्लाक: बलहा, जिला: बहराइच (5) सतिजोर, ब्लाक: नवाबगंज, जिला: बहराइच।

अभिलेखों में पाया गया कि नमूना जाँच में लिये गये 50 ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों की सहभागिता बहुत कम थी जो ग्राम पंचायतों की सम्पूर्ण जनसंख्या का 0.07 से 3.76 प्रतिशत थी।

शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं भविष्य में श्रमिकों एवं ग्रामीणों की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित कराने का आश्वासन दिया।

2-2-9-6 | लेखापरीक्षा की कार्यवाही के लिए वीडियो रिकार्डिंग का प्रयोग

संचालन मार्गदर्शिका की धारा 13.3.11 के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा की कार्यवाही की मूल वीडियो रिकार्डिंग को मनरेग्स की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना आवश्यक था।

हमने पाया गया कि गोसा प्रयागपुर, ख्वाजा अहमदपुर, अइलाकला एवं खरपरी के अलावा 46 ग्राम पंचायतों (92 प्रतिशत) में सामाजिक लेखापरीक्षा कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग नहीं की गयी थी।

शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि वीडियो रिकार्डिंग के लिये उपलब्ध कराया गया ₹ 500 अपर्याप्त था इसलिये इसे 2015-16 में बढ़ाकर ₹ 750 कर दिया गया है भविष्य में वीडियो रिकार्डिंग का प्रयास किया जायेगा।

2-2-9-7 | लेखापरीक्षा की कार्यवाही के लिए साक्ष्यों को एकत्र करना

संचालन मार्गदर्शिका की धारा 13.3.10 के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा की अवधि में उठाये गये समस्त मुद्दों को लिखना एवं साक्ष्यों को एकत्र करना था।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि सामाजिक लेखापरीक्षा दल द्वारा कोई साक्ष्य एकत्र नहीं किया गया था। इंगित किये जाने पर शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का आश्वासन दिया गया।

2-2-9-8 | लेखापरीक्षा की कार्यवाही के लिए गुणवत्ता अनुश्रवण का प्रयोग

संचालन मार्गदर्शिका की धारा 13.2.3 के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा के सम्पादन के समय मनरेग्स योजना के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के स्थायित्व एवं उपयोगिता के सन्दर्भ में गुणवत्ता के मूल्यांकन की सुविधा गुणवत्ता अनुश्रवण के द्वारा होनी चाहिये थी।

जाँच में पाया गया कि परिसम्पत्तियों की गुणवत्ता के मूल्यांकन हेतु गुणवत्ता अनुश्रवण नहीं लगाये गये थे। सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि गुणवत्ता अनुश्रवण हेतु जिला सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक एवं ब्लॉक सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक की क्षमता का विकास करके गुणवत्ता अनुश्रवण का कार्य लिया जायेगा।

2-2-9-9 | लेखापरीक्षा की कार्यवाही के लिए ग्राम सभा की बैठक के बाद

उत्तर प्रदेश सामाजिक लेखापरीक्षा संदर्शिका, 2014 के प्रस्तर 8.6 के अनुसार ग्राम सभा की बैठक के बाद ब्लॉक सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक, ग्राम सभा की कार्यवाही के आधार पर सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करेगा और ग्राम पंचायत, कार्यक्रम अधिकारी, जिला सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक एवं जिला कार्यक्रम

समन्वयक को प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करायेगा। जिला सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को www.nrega.nic.in पर अपलोडिंग सुनिश्चित करेगा एवं प्रतिवेदन की एक प्रति निदेशक सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई एवं आयुक्त रोजगार गारण्टी को, सामाजिक लेखापरीक्षा के पूर्ण होने के पांच दिन के भीतर ई-मेल द्वारा भेजेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मई 2015 तक नमूना जाँच में लिये गये 30 जनपदों में से 22 जनपदों में 1,279 सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2014-15) वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया था *2-2-9*। अग्रेतर हमने पाया कि ब्लाक सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक द्वारा तैयार किये गये प्रतिवेदनों एवं अपलोड प्रतिवेदनों में समानता नहीं थी जैसे 47 ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित 286 आपत्तियाँ जो ब्लाक सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक के प्रतिवेदन में थी, अपलोडेड प्रतिवेदनों में नहीं पायी गयी थी जबकि सात ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित 13 आपत्तियाँ अपलोडेड प्रतिवेदनों में थी जबकि ब्लाक सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक द्वारा हस्त लिखित प्रतिवेदनों में नहीं थी। यहां तक की अपलोडेड प्रतिवेदन में अंकित सामाजिक लेखापरीक्षा तिथि हस्त लिखित प्रतिवेदनों की तिथि से मिलान नहीं करती थी *2-2-10*।

शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया और भविष्य में समय से सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अपलोड करने का आश्वासन दिया गया। अपलोडेड प्रतिवेदन एवं हस्तलिखित प्रतिवेदनों के अन्तर के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

ys[kki jh{kk e# nf"Vxr mYys[kuh; dk;'

आडिट आफ स्कीम रुल्स 2011 के प्रस्तर 4(बी) के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई, सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए प्रतिवेदन प्रारूपों, संसाधन सामग्री, नियम पुस्तिका एवं मार्ग-दर्शिका तैयार करने के लिये उत्तरदायी थी। जाँच में पाया गया कि सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई ने सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पादन हेतु संसाधित व्यक्तियों को योग्य बनाने के लिये समग्र साहित्य एवं नियमावली तैयार की थी। सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई ने उत्तर प्रदेश सामाजिक लेखापरीक्षा संदर्शिका, 2014 नामक संदर्शिका हिन्दी में प्रकाशित की थी जिसमें सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रक्रिया एवं उसके उद्देश्य, हितधारकों के कर्तव्यों एवं दायित्वों तथा मनरेग्स कार्यों को लागू कराने वाले अधिकारियों के लिये विस्तृत दिशानिर्देश थे। सामाजिक लेखापरीक्षा दल एवं ब्लाक सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के विस्तृत प्रारूप तैयार किये गये थे जो कि सूचनाओं के संकलन एवं प्रतिवेदन को तैयार करने के लिये सहायक थे। उक्त के अतिरिक्त अन्य पुस्तकें एवं विवरणिका जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम-2005, जिला सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक/ब्लाक सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक के लिये समाजिक लेखापरीक्षा मार्ग दर्शिका, समाजिक लेखापरीक्षा सन्दर्भ साहित्य, सामाजिक लेखापरीक्षा दल प्रशिक्षण माड्यूल एवं समाजिक लेखापरीक्षा द्वारा ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता, जनसहभागिता तथा जवाबदेही भी संसाधित व्यक्तियों एवं हितधारकों के लिये प्रकाशित की गयी थी।

2-2-10 I ekftd ys[kki jh{kk i fromnuka dk xq koRrk fu; #. k

आडिट आफ स्कीम रुल्स 2011 के प्रस्तर 4 (बी) के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई को सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रारूपों, संसाधन सामग्री, नियम पुस्तिका एवं मार्ग-दर्शिका तैयार करना चाहिये था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि सामाजिक

लेखापरीक्षा इकाई द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा प्रारूप एवं नियम पुस्तिका तैयार की गयी थी तथापि प्रतिवेदन की गुणवत्ता नियंत्रण को सुनिश्चित नहीं किया गया था।

अग्रेतर, आडिट आफ स्कीम रूल्स 2011 की लेखापरीक्षा के प्रस्तर 4(एफ) के अनुसार अनुवर्ती कार्यवाही सहित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक स्थलो पर प्रदर्शित किया जाना चाहिये था। नमूना जाँच में लिये 50 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि यद्यपि बेबसाइट पर प्रतिवेदन अपलोड किये गये थे एव गलती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को भी दर्शाया गया था लेकिन गलती करने वाले स्टाफ के खिलाफ कृत कार्यवाई अंकित नहीं थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर शासन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

2-2-11 ftyk fodkl vf/kdkjh }kjk =fVi #kz l ipuk dk i\$'k.k

ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा पूर्ण करने के पश्चात ब्लाक सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक द्वारा प्रतिवेदन तैयार किया जाना था एवं ग्राम पंचायतों, कार्यक्रम अधिकारी और जिला सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जानी थी एवं जिले की समेकित रिपोर्ट जिला विकास अधिकारी द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई को प्रेषित की जानी थी।

जिला विकास अधिकारी आगरा के अभिलेखों की जाँच में पाया गया, कि 2014-15 में 381 ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा की गयी जिसमें 8,170 आपत्तियों सहित ₹ 160.89 लाख का दुर्विनियोग पाया गया था। जबकि जिला विकास अधिकारी ने 339 ग्राम पंचायतों में 1,367 आपत्तियों सहित ₹ 35.72 लाख के दुर्विनियोग की सूचना प्रेषित की गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर शासन द्वारा उत्तर नहीं दिया गया।

2-2-12 ftyk dk; Øe l ello; d }kjk d'r dk; bkgk

जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा पर समयबद्ध, सुधारात्मक कार्यवाई सुनिश्चित किया जाना था। गबन की धनराशि अथवा अनुचित तरीके से दुरुपयोग की गयी मजदूरी की धनराशि वसूल की जानी थी एवं ऐसे व्यक्ति से जो दुरुपयोग अथवा गबन के लिए उत्तरदायी थे, उनके विरुद्ध आपराधिक, सिविल कार्यवाही एवं सेवा से निष्कासन की कार्यवाही की जानी थी। राज्य सरकार के ग्राम विकास विभाग द्वारा जारी आदेश (अगस्त 2014) के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में पायी गयी आपत्तियों पर कार्यदायी संस्थाओं, ग्राम विकास अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी एवं उपायुक्त (मनरेग्स) द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक के पर्यवेक्षण में ग्राम सभा की बैठक के बाद एक माह के अन्दर सुधारात्मक कार्यवाई की जानी थी।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि राज्य स्तर पर प्रतिवेदित दुर्विनियोग की धनराशि ₹ 343.63 लाख में से मार्च 2015 तक, मात्र ₹ 2.91 लाख (0.84 प्रतिशत) की धनराशि वसूल की गयी थी एवं राज्य स्तर पर सात प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी उसके अतिरिक्त मार्च 2015 तक 2,43,734 पंजीकृत आपत्तियों में से मात्र 1,62,376 (67 प्रतिशत) आपत्तियों को निस्तारित किया गया था। अवशेष 81,358 आपत्तियों में से 2013-14 से सम्बंधित 21,158 (26 प्रतिशत) आपत्तियाँ, मार्च 2015 तक लम्बित थी।

अग्रेतर, नमूना जाँच में लिये गये 30 जनपदों में से 16 जनपदों में 444 दुर्विनियोग के प्रकरणों में ₹ 164.22 लाख की धनराशि में से मात्र ₹ 0.13 लाख (0.08 प्रतिशत) वसूल की गयी थी *वि.सं. 2-2-11* एवं नमूना जाच के 30 जनपदों में 64,373 पंजीकृत आपत्तियां मार्च 2015 तक लम्बित थी *वि.सं. 2-2-12*।

शासन ने उत्तर में बताया कि सुधारात्मक कार्यवाई सुनिश्चित करने के लिये जिला कार्यक्रम समन्वयक को निर्देश दे दिये गये हैं।

2-2-13 वि.सं. 2-2-13

मनरेगा (14 मई 2014) के संचालन प्रावधान 27(2) से मानक प्रक्रिया के प्रस्तर 10 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य के सचिव, ग्रामीण विकास के सीधे प्रभार के अन्तर्गत मनरेगा से सम्बन्धित सभी शिकायतों के निवारण के लिए एक शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित होना चाहिये था।

इंगित किये जाने पर शासन द्वारा उत्तर में बताया गया कि अपर आयुक्त (मनरेग्स) के अधीन शिकायत निवारण तन्त्र एवं शिकायत के निवारण के लिए हेल्पलाइन की स्थापना की गयी है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि (मनरेग्स) से सम्बन्धित सभी शिकायतों के लिए, राज्य स्तर पर सचिव, ग्रामीण विकास के सीधे प्रभार में शिकायत प्रकोष्ठ का गठन किया जाना चाहिए था।

2-2-14 वि.सं. 2-2-14

आडिट आफ स्कीम्स रूल्स 2011 की धारा 7(4),7(5) एवं 3(2) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्यवाई की जानी थी एवं राज्य रोजगार गारण्टी परिषद द्वारा राज्य सरकार द्वारा कृत अनुवर्ती कार्यवाही का अनुश्रवण किया जाना था।

राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखे जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदन में, कृत अनुवर्ती कार्यवाही को शामिल किया जाना था एवं राज्य सरकार द्वारा, वित्तीय वर्ष के दौरान सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के सारांश को, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्रस्तुत किया जाना था।

अग्रेतर राज्य स्तर पर अपर आयुक्त, मनरेग्स को सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही को सुनिश्चित कराने एवं पर्यवेक्षण हेतु निर्देशित¹¹ किया गया था। तथापि अपर आयुक्त मनरेग्स के पास कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।

शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि अपर आयुक्त मनरेग्स को अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के सारांश को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को भेजने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

वि.सं. 2-2-14 सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की आपत्तियों पर समय से अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहिये।

¹¹ सं. 1729/38-7-2014-324 नरेगा/2012 दिनांक 04 अगस्त 2014।

2-2-15 fu"d"kZ , oa vuq ka k

आडिट आफ स्कीम्स रूल्स 2011 के परिपालन में सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पादन हेतु एक स्वतन्त्र संगठन सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई की स्थापना अगस्त 2012 में की गयी थी, यद्यपि लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पादन हेतु दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित निधि अवमुक्त नहीं की गयी थी।

%i Lrj 2-2-7%

vuq ka k% सामाजिक लेखापरीक्षा के सुगम संचालन हेतु निर्धारित निधियाँ अवमुक्त की जानी चाहिए।

- सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई ने ग्राम पंचायतों को सामाजिक लेखापरीक्षा से आच्छदित करने हेतु संसाधित व्यक्तियों के सम्यक उपयोग हेतु उचित योजना नहीं बनाई थी।

%i Lrj 2-2-8%

vuq ka k% सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु समय पर वार्षिक कैलेण्डर तैयार किया जाना चाहिये जिससे संसाधित व्यक्तियों का सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु सम्यक उपयोग किया जा सके।

- शासन द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की गयी थी एवं अनुवर्ती कार्यवाही पर समेकित वार्षिक प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया था।

%i Lrj 2-2-14%

vuq ka k% सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की आपत्तियों पर समय से अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहिये।